Drishti IAS

Mains MARATHON

(मुख्य परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर) 2024

आर्थिक परिदृश्य

Delhi
Drishti IAS,
641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View
Apartment, New Delhi

New Delhi
Drishti IAS,
21, Pusa Road,
Karol Bagh
New Delhi

Uttar Pradesh
Drishti IAS,
Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

Rajasthan
Drishti IAS,
Tonk Road,
Vasundhra Colony,
Jaipur, Rajasthan

Madhya Pradesh
Drishti IAS,
Building No. 12, Vishnu Puri,
Main AB Road,
Bhawar Kuan, Indore,
Madhya Pradesh

आर्थिक परिदृश्य

Q1. भारत के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्य और चुनौतियाँ क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- डिजिटल इंडिया के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये।
- डिजिटल इंडिया से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके तहत परिवर्तनों हेतु प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें कई पहलू शामिल हैं।

मुख्य भाग:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य:
- डिजिटल बुनियादी ढाँचा तैयार करना और सभी नागरिकों को डिजिटल पहुँच प्रदान करना।
- डिजिटल सेवाओं और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटली रूप से सक्षम बनाना।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल तैयार करना।
- शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना।
- डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियाँ:
- **डिजिटल डिवाइड का होना:**
  - देश भर में डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सेवाओं का असमान वितरण है।
- **साइबर सुरक्षा:**
  - डिजिटल बुनियादी ढाँचे और डेटा के संदर्भ में साइबर खतरों का होना।
- **डिजिटल साक्षरता:**
  - काफी लोगों की डिजिटल साक्षरता सीमित बनी हुई है।
- **आधारभूत संरचना:**
  - इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु देश के कुछ हिस्सों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है।
- **गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ:**
  - नागरिकों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव:
- **डिजिटलीकरण का विस्तार होना:**
  - इस कार्यक्रम से डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि हुई है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिला है।
- **रोज़गार सृजन होना:**
  - इस कार्यक्रम से डिजिटल क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं (खासकर ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऐप डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में)।
- **व्यापार करने में सुलभता:**
  - इस कार्यक्रम से कई सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हो गया है।
- **दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि:**
  - शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और सेवा वितरण में सुधार हुआ है।
- **नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलना:**
  - इस कार्यक्रम से डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से नए स्टार्टअप और व्यवसायों का उदय हुआ है।

निष्कर्ष:

डिजिटल रूप से सशक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा है। हालाँकि इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी रही हैं लेकिन अर्थव्यवस्था और समाज पर इस कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक रहा है और उम्मीद है कि यह भारत की विकास यात्रा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

Q2. वैश्विक अर्थव्यवस्था 'डी-डॉलराइज़ेशन' से गुजर रही है। इस प्रवृत्ति हेतु उत्तरदायी अंतर्निहित कारक क्या हैं? भारत के संदर्भ में डी-डॉलराइज़ेशन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- अपने उत्तर की शुरुआत डी-डॉलराइज़ेशन के संक्षिप्त परिचय के साथ कीजिये।
- मुख्यभाग में डी-डॉलराइज़ेशन की प्रवृत्ति में योगदान करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये।
- डी-डॉलराइज़ेशन से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- आगे की राह को उल्लिखित करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

डी-डॉलराइज़ेशन वैश्विक वित्तीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्त्व को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। हाल के वर्षों में डी-डॉलराइज़ेशन की प्रवृत्ति देखी गई है, कई देशों द्वारा अपनी आरक्षित मुद्राओं में विविधता लायी गई है तथा अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम किया है।

मुख्यभाग:

डी-डॉलराइज़ेशन की प्रवृत्ति में योगदान करने वाले कुछ प्रमुख कारक:

- **भू-राजनीतिक तनाव:** अमेरिका और अन्य देशों, विशेष रूप से चीन और रूस के मध्य बढ़ते तनाव ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक नीतियों में बदलाव को प्रोत्साहित किया है।
  - उदाहरण के लिये, अमेरिकी प्रतिबंध इसके प्रतिद्वंदी के मुक्त व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **अमेरिकी आर्थिक नीतियाँ:** अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की संकुचनकारी मौद्रिक नीतियों के कारण अन्य देशों से पूंजी का पलायन अमेरिका की ओर हुआ है जिससे विदेशी निवेश में कमी आ सकती है, जो कि इनके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।
- **वित्तीय संकट का जोखिम:** वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्त्व से वैश्विक वित्तीय संकट का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट का प्रभाव वैश्विक स्तर पर होता है।
- **उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ:** भारत, चीन और रूस जैसी कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ अपने घरेलू आर्थिक क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जिसके कारण स्थानीय मुद्राओं की ओर झुकाव में वृद्धि हुई है परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी कम हुई है।
- **वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि:** यूरो, येन और युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं के प्रसार ने वैश्विक लेनदेन में अमेरिकी डॉलर का विकल्प प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर की प्रमुख स्थिति के कारण डी-डॉलराइज़ेशन, देशों के लिये कई चुनौतियाँ पेश करता है। इनमें से कुछ चुनौतियों में शामिल हैं:

- **पूर्ण परिवर्तनीय राष्ट्रीय मुद्राओं का अभाव:** राष्ट्रीय मुद्राएँ पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि व्यापार की वैकल्पिक प्रणालियों और कई मुद्रा विनिमय प्रणालियों के उदय के बावजूद अमेरिकी डॉलर अभी भी अपना प्रभुत्त्व बनाए हुए है।
  - **उदाहरण के लिये, हाल ही में रूस ने इसी कारण से भारत के साथ रुपया में व्यापार समझौते को निलंबित कर दिया है।**
- **मुद्रा में उतार-चढ़ाव:** राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्य में डॉलर के सापेक्ष उतार-चढ़ाव रहता है, जिसके परिणामस्वरूप देशों को अपनी आर्थिक नीतियों हेतु योजना निर्माण करने में जटिलता का सामना करना पड़ता है एवं व्यवसायों के लिये दीर्घकालिक निवेश करना भी मुश्किल रहता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का सीमित उपयोग:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा करना राष्ट्रीय मुद्राओं के लिये चुनौतीपूर्ण होता है। इससे देशों के लिये पारस्परिक व्यापार करना और व्यवसायों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना कठिन हो सकता है।
- **डॉलर पर निर्भरता:** कई देश व्यापार और वित्तीय लेनदेन के लिये डॉलर पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो उन्हें डॉलर के मूल्य में परिवर्तन और अमेरिकी सरकार की नीतियों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- **वित्तीय अस्थिरता:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में डॉलर का प्रभुत्त्व अन्य देशों की वित्तीय अस्थिरता में योगदान कर सकता है, क्योंकि ऐसे देश वित्तीय संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

इससे उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु, भारत निम्नलिखित उपाय कर सकता है:

- **विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना:** भारत यूरो, येन और युआन जैसी अन्य मुद्राओं में निवेश करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला सकता है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना:** भारत स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित कर सकता है

जैसे कि भारतीय रुपया, जो कि वैश्विक लेनदेन में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को कम कर सकता है।
  - अपने व्यापार भागीदारों के साथ रुपया में व्यापार समझौते के लिये, भारत द्वारा ज़ोर देना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **घरेलू बाज़ारों का विकास करना:** भारत अपने घरेलू बाज़ारों (विशेष रूप से बॉण्ड बाज़ार) को विकसित कर सकता है, जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है और विदेशी पूंजी पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है।
- **अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना:** भारत अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मज़बूत कर सकता है, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, जैसे कि चीन और रूस आदि जो व्यापार और निवेश के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था में डी-डॉलराइज़ेशन की प्रवृत्ति भारत के लिये चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाकर, स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर, अपने घरेलू बाज़ारों को विकसित करके तथा अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मज़बूत करके, **भारत डी-डॉलराइज़ेशन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कर सकता है और इसके द्वारा निर्मित अवसरों का लाभ उठा सकता है।**

Q3. हाल ही में RBI ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को बाज़ार से वापस लेने का निर्णय लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर विचार करते हुए, इस कदम के संभावित लाभों और हानियों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के आरबीआई के हालिया कदम का उल्लेख करते हुए अपना उत्तर शुरू कीजिये।
- इसके मुख्य भाग में, इस तरह के कदमों के संभावित लाभों और हानियों का उल्लेख कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

RBI ने हाल ही में "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत ₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों को नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जारी किया गया था।

मुख्य भाग:

उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को वापस लेने के संभावित लाभ और हानियाँ:

लाभ:

- इससे काले धन और जालसाजी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इन नोटों को जमा करना और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रसारित करना आसान है।
- इससे डिजिटल भुगतान के साथ वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है, क्योंकि इससे लोग लेन-देन में इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित हो सकते हैं।
- इससे उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की परिचालन लागत और संबंधित चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
- यह निर्णय RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुरूप है जिसका उद्देश्य संचलन वाले नोटों की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार करना होता है।

हानियाँ:

- इससे लोगों के लिये असुविधा और व्यवधान की स्थितियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिये जो अपने दैनिक लेन-देन के लिये नकदी पर निर्भर होते हैं तथा डिजिटल या बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं होती है।
- इससे प्रचलन वाली मुद्रा की कमी हो सकती है, क्योंकि ये नोट 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन वाले कुल नोटों के कुल मूल्य का लगभग 10.8% थे।
- इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ छोटे व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन पर निर्भर होते हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपने पुराने नोटों को बदलने या जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- उच्च मूल्यवर्ग वाले नोटों को वापस लेने से तरलता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है और वैकल्पिक मूल्यवर्ग वाले नोट उपलब्ध न होने पर इससे नकद आधारित लेन-देन बाधित होने के साथ आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ और हानियाँ दोनों हैं। इससे काले धन पर अंकुश लगाने, जालसाजी को कम करने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने तथा मुद्रा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। हालाँकि इस फैसले में

लोगों की असुविधा, नकदी पर निर्भर क्षेत्रों के लिये चुनौतियाँ, तरलता और मुद्रा प्रतिस्थापन के बारे में चिंताएँ निहित हैं। इस नीति का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन, इन कमियों को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

Q4. भारत में डिजिटलीकरण से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुचारू और समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- डिजिटलीकरण का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- डिजिटलीकरण के लाभ बताइये।
- डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ बताइये।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुचारू और समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

डिजिटलीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता, उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने से है।

मुख्य भाग:

डिजिटलीकरण के कई लाभ हैं जैसे:
- इससे नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिये सूचना, सेवाओं, बाज़ारों तथा अवसरों तक पहुँच में बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे लागत में कमी एवं गुणवत्ता में सुधार होने के साथ पारदर्शिता और जवाबदेहिता एवं नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, ई-गवर्नेंस आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सक्षम हो सकती है।
- इससे विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिये राजस्व और रोज़गार के नए स्रोत पैदा हो सकते हैं।
- इससे पर्यावरणीय स्थिरता, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समर्थन मिल सकता है।

हालाँकि डिजिटलीकरण से संबंधित कई चुनौतियाँ भी हैं जैसे:
- इससे उन लोगों के बीच डिजिटल अंतराल के साथ असमानता हो सकती है जिनकी डिजिटल बुनियादी ढाँचे, उपकरणों, कौशल एवं साक्षरता तक पहुँच नहीं है।
- इससे डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, नैतिकता और शासन संबंधी मुद्दों को जन्म मिल सकता है (विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, बायोमेट्रिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में)।
- इससे मौजूदा व्यवसाय मॉडल, श्रम बाज़ार और सामाजिक मानदंड बाधित हो सकते हैं, जिससे नौकरियों की हानि एवं कौशल अंतराल के साथ सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे साइबर खतरों, साइबर अपराधों और साइबर युद्ध के खतरों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

इसलिये डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुचारू और समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करने में विभिन्न हितधारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जैसे:
- सरकार को डिजिटलीकरण के लिये एक सक्षम नीतिगत ढाँचा, विनियामक वातावरण प्रदान करने के साथ संस्थागत समर्थन प्रदान करना चाहिये। इसे डिजिटल बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक जागरूकता में भी निवेश करना चाहिये।
- निजी क्षेत्र को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता, दक्षता के साथ ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिये। उन्हें डिजिटलीकरण के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को हल करने के लिये सरकार और नागरिक समाज के साथ भी सहयोग करना चाहिये।
- नागरिक समाज को डिजिटलीकरण के प्रहरी और सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिये। उन्हें नागरिकों को डिजिटल कौशल, साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाना चाहिये। उन्हें डिजिटल समावेशन एवं इसमें भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिये।
- शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों को डिजिटलीकरण के लिये ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देना चाहिये। उन्हें वर्तमान और भविष्य के कार्यबल हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिये।
- मीडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार करना चाहिये। इसे डिजिटल क्षेत्र में सटीकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डिजिटल परिवर्तन से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और समन्वय करना चाहिये। उन्हें डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न देशों की संप्रभुता, विविधता और हितों का भी सम्मान करना चाहिये।

निष्कर्ष:

इस प्रकार डिजिटलीकरण एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जिसके लिये सभी हितधारकों से समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की क्षमता है।

Q5. आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं सहित विभिन्न चुनौतियों के कारण भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है। इन चुनौतियों के मुख्य कारण क्या हैं और इनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- **परिचय:** खाद्य मुद्रास्फीति और उसके कारणों का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- **मुख्य भाग:** आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित चुनौतियों के पीछे के मुख्य कारणों और उन्हें दूर करने के तरीकों पर चर्चा कीजिये।
- **निष्कर्ष:** आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

खाद्य मुद्रास्फीति का तात्पर्य समय के साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होने से है। इससे उपभोक्ताओं (विशेषकर समाज के गरीब और कमजोर वर्गों) की क्रय शक्ति और कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है (सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 0.68% से बढ़कर 8.38% हो गई है)। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के मुख्य कारणों को मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष जैसे कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपूर्ति पक्ष से संबंधित कारकों में से एक, आपूर्ति श्रृंखला का व्यवधान होना है।

मुख्य भाग:

भारत में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के मुख्य कारण:

- **खंडित आपूर्ति श्रृंखला:** जटिल और खंडित आपूर्ति श्रृंखला के परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की बर्बादी होने के साथ कीमत में वृद्धि होती है। इसका कारण आपूर्ति श्रृंखला में अनौपचारिकता की व्यापकता के साथ व्यवहारिकता का न होना है।
- **अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सुविधाएँ:** समग्र आपूर्ति श्रृंखला में वेयरहाउसिंग एक प्रमुख आवश्यकता होती है, इसमें ज्यादातर अनौपचारिक भागीदारों का वर्चस्व बना हुआ है। वर्तमान में केवल 20% वेयरहाउस संगठित हैं और उनमें से 70% सरकार द्वारा नियंत्रित हैं।
  - पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण फल, सब्जियाँ, डेयरी, माँस आदि जैसी वस्तुओं का नुकसान होता है।
- **जलवायु संबंधी कारक:** अत्यधिक तापमान और वर्षा से खाद्यान्न के उत्पादन और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **वैश्विक कारक:** खाद्य मुद्रास्फीति वैश्विक कारकों से भी प्रभावित होती है जैसे कि COVID-19 महामारी,रूस-यूक्रेन युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होना।
  - इन कारकों से लागत में वृद्धि होने के साथ खाद्य तेल, अनाज और चीनी जैसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी आ जाती है।
- **आवागमन संबंधी मुद्दे:** भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अभी भी गुणवत्ता और कनेक्टिविटी संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कुल सड़क नेटवर्क में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की केवल 2% हिस्सेदारी है लेकिन इनके द्वारा कुल वस्तुओं के 40% का परिवहन होता है। बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि के बावजूद इन बंदरगाहों से कनेक्टिविटी की कमी के कारण लागत में वृद्धि होती है और वस्तुओं के परिवहन में देरी होती है।

आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के तरीके:

- **बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना:** सड़क कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क, बिजली आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं आदि में सुधार हेतु निवेश करने की आवश्यकता है जिससे खाद्य उत्पादों की सुचारू आवाजाही की सुविधा प्राप्त होगी।
  - इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग क्षमता को बढ़ाने और उनके गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।
- **संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना:** भारत को ऐसे लंबित कानूनों को लागू करने की जरूरत है जिनका उद्देश्य संरचनात्मक बाधाओं (जैसे भूमि, श्रम, कानून, आवागमन से संबंधित) को हल करना है।
- **बाज़ार एकीकरण को बढ़ावा देना:** किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे संबंधों को बढ़ावा देकर खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को कम करने की आवश्यकता है।
  - ऐसा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), अनुबंध कृषि, e-NAM (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) आदि को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।

- **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ाना:** जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को मौसम की परिवर्तनशीलता से निपटने और फसल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - इसमें फसल विविधीकरण, उन्नत बीज, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं।
- **खाद्य पदार्थों की टोकरी में विविधता लाना:** दूध, दालें, अंडे, फल और सब्जियों जैसे प्रोटीन युक्त और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाकर भारतीयों के भोजन उपभोग प्रतिरूप में विविधता लाने की आवश्यकता है।
  - इससे अनाज और खाद्य तेलों पर निर्भरता कम करने के साथ पोषण सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का कारण बनने वाली आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश, बेहतर भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से फसल के बाद के नुकसान को कम करना, परिवहन प्रणालियों को उन्नत करना और किसानों के लिये बाजार पहुँच बढ़ाना शामिल है। इन उपायों को लागू करके भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है, भोजन की बर्बादी को कम कर सकता है और खाद्य कीमतों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम कर सकता है।

Q6. भारत में विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति पर चर्चा कीजिये। मुद्रास्फीति से किस प्रकार से भारत का वृद्धि और विकास परिदृश्य प्रभावित होता है? भारत में मूल्य स्थिरता के साथ मुद्रास्फीति को कम करने से संबंधित कुछ नीतिगत उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- मुद्रास्फीति का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- बताइये कि मुद्रास्फीति भारत के वृद्धि और विकास परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित करती है।
- मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के साथ मुद्रास्फीति को कम करने के लिये कुछ नीतिगत उपाय बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मुद्रास्फीति का आशय एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। मुद्रास्फीति दर का आशय एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक वर्ष या एक महीने) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है। मुद्रास्फीति दर ऐसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों में से एक है जिससे किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का आकलन होता है।

मुख्य भाग:

भारत में मुद्रास्फीति के प्रकार:
- **मांग प्रेरित मुद्रास्फीति:**
  - ऐसा तब होता है जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है।
  - ऐसा आय वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, राजकोषीय प्रोत्साहन एवं मौद्रिक विस्तार आदि जैसे कारकों से हो सकता है।
- **लागत प्रेरित मुद्रास्फीति:**
  - ऐसा तब होता है जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है।
  - ऐसा मज़दूरी एवं कर में वृद्धि तथा सब्सिडी में कमी जैसे कारकों से हो सकता है।
- **संरचनात्मक मुद्रास्फीति:**
  - ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक स्तर पर जटिलताएँ आ जाती हैं जिससे कीमतों में वृद्धि होती है।
  - ऐसा बुनियादी ढाँचे की खराब स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, बाज़ार की जटिलताएँ एवं संस्थागत बाधाओं आदि जैसे कारकों से हो सकता है।
- **आयातित मुद्रास्फीति:**
  - ऐसा तब होता है जब बाहरी कारकों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं।
  - ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों में असंतुलन एवं विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आदि जैसे कारकों से हो सकता है।

भारत की वृद्धि और विकास संभावनाओं पर मुद्रास्फीति का प्रभाव:
- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - मध्यम स्तर की मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था और समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जैसे आर्थिक विकास एवं निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिलना, बेरोज़गारी में कमी आना, कर राजस्व में वृद्धि होना और ऋण के बोझ में कमी आना आदि।

- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - उच्च मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था और समाज पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे क्रय शक्ति में कमी आना, सापेक्ष कीमतों में विकृति होना, अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा होना, बचत और निवेश हतोत्साहित होना, आय असमानता को बढ़ावा मिलना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न होना आदि।

भारत में मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने तथा मुद्रास्फीति को कम करने हेतु नीतिगत उपाय:

- **मौद्रिक नीति:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2016 से +/- 2% के उतार-चढ़ाव के साथ मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा है।
  - आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और ऋण उपलब्धता को विनियमित करने और ब्याज एवं विनिमय दरों को प्रभावित करने के लिये रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आदि जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
  - आरबीआई विभिन्न उतार-चढ़ाव और चुनौतियों के बावजूद मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के अंदर रखने में काफी हद तक सफल रहा है।
  - हालाँकि मौद्रिक नीति की कुछ सीमाओं में समय अंतराल, ट्रांसमिशन मुद्दे, राजकोषीय नीति के साथ समन्वय संबंधी जटिलताएँ आदि शामिल हो सकती हैं।
- **राजकोषीय नीति:**
  - राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) लागू किया गया।
  - अर्थव्यवस्था में कुल मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने और राजकोषीय घाटे तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिये सरकार द्वारा कराधान, व्यय, उधार, सब्सिडी आदि जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
  - संकट के समय में अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं।
  - हालाँकि राजकोषीय नीति से संबंधित कुछ चुनौतियों में राजस्व में कमी होना, व्यय में वृद्धि होना, धन का बहिर्गमन होना आदि शामिल हैं।
- **आपूर्ति-पक्ष संबंधी नीति:**
  - सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने और मुद्रास्फीति का कारण बनने वाली संरचनात्मक बाधाओं और बाज़ार की खामियों को कम करने के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास, कृषि सुधार, औद्योगिक सुधार, व्यापार उदारीकरण आदि जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
  - सरकार द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने और आवश्यक वस्तुओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि जैसी विभिन्न योजनाएँ भी शुरू की गई हैं।
  - हालाँकि आपूर्ति-पक्ष की नीतियों से संबंधित कुछ मुद्दों में कार्यान्वयन अंतराल, रिसाव, भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष:

मुद्रास्फीति एक ऐसी जटिल घटना है जिससे अर्थव्यवस्था और समाज पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। मुद्रास्फीति को एक ऐसे स्तर पर रखने की आवश्यकता होती है जिससे विकास और स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु संतुलित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

Q7. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिये और सुधार के लिये सुझाव दीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण को बढ़ाने वाले कारकों पर चर्चा करते हुए डिजिटलीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भारत में डिजिटलीकरण के सामने आने वाली समस्याओं एवं इनके समाधानों पर चर्चा कीजिये।
- मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं को बदलने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह नागरिकों तथा व्यवसायों की अधिक दक्षता, नवाचार, समावेश एवं सशक्तीकरण को सक्षम कर सकता है। भारत में हाल के वर्षों में डिजिटलीकरण में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है, जो बढ़ी हुई इंटरनेट पहुँच, सरकार के नेतृत्व वाली डिजिटल पहल, एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र व डिजिटल उपभोक्ताओं के एक बड़े और बढ़ते आधार जैसे कारकों से प्रेरित है।

मुख्य भाग:

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति:

- **इंटरनेट तक पहुँच:** 759 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के साथ भारत में इंटरनेट तक पहुँच में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। इससे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये डिजिटल पहुँच आसान हो गई है।
- **ई-गवर्नेंस:** सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, सेवा वितरण को बढ़ाने और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी पहलों को व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- **ई-कॉमर्स:** भारत में एक उभरता हुआ उद्योग ई-कॉमर्स है, जिसमें कई घरेलू प्लेटफॉर्म और वैश्विक दिग्गज देश में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिये नए अवसर उत्पन्न किये हैं।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** भारत के डिजिटल परिवर्तन ने एक जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक और अन्य क्षेत्रों में कई नवोन्वेषी कंपनियाँ उभर रही हैं।

भारत में डिजिटलीकरण में आने वाली समस्याएँ:

- **डिजिटल डिवाइड:** सुधारों के बावजूद, एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल डिवाइड/विभाजन अभी भी उपस्थित है, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और पहुँच के मामले में ग्रामीण क्षेत्र शहरी केंद्रों से पीछे हैं। यह विभाजन समावेशी विकास में बाधक है।
  - केवल लगभग 50% आबादी के पास इंटरनेट सदस्यता है, जो दर्शाता है कि आबादी के एक बड़े हिस्से के पास अभी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुँच नहीं है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता है, वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा खतरे भी बढ़ते हैं। भारत को डिजिटल बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करने और डेटा को साइबर हमलों से बचाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **गोपनीयता के मुद्दे:** डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को प्रमुखता मिली है। भारत को नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत डेटा संरक्षण कानूनों तथा तंत्रों की आवश्यकता है।
- **बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ:** धीमी इंटरनेट गति और कुछ क्षेत्रों में असंगत कनेक्टिविटी सहित खराब डिजिटल बुनियादी ढाँचा पूर्ण डिजिटलीकरण को बाधित करता है।
  - ब्रॉडबैंड, वाई-फाई, ऑप्टिकल फाइबर और 4जी नेटवर्क की उपलब्धता एवं पहुँच भी विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूरदराज़ के क्षेत्रों में सीमित स्तर पर मौजूद हैं।
- **नियामक और नीतिगत चुनौतियाँ:** भारत का डिजिटल परिदृश्य IT, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में पुराने कानूनों तथा अतिव्यापी नियमों के कारण नियामक मुद्दों से जूझ रहा है। यह जटिलता हितधारकों के लिए अनिश्चितता का कारण बनती है।

सुधार हेतु सुझाव:

- **डिजिटल समावेशन:** डिजिटल विभाजन को कम करने के लिये दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे एवं कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिये ठोस प्रयास किये जाने चाहिये। भारतनेट जैसी सरकारी योजनाओं में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:** सरकारी पहलों और गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान शामिल हो सकते हैं।
- **डेटा संरक्षण और गोपनीयता कानून:** नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और उनके गोपनीयता अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिये व्यापक डेटा संरक्षण तथा गोपनीयता कानून लागू करना।
  - सरकार ने हाल ही में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पारित किया है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है।
- **साइबर सुरक्षा उपाय:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी, उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश और सक्रिय खतरे का पता लगाने तथा प्रतिक्रिया प्रणालियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना।
- **व्यापार करने में आसानी:** भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिये सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाना। इससे अधिक निवेश आकर्षित होगा तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना:** नकद लेन-देन को कम करने, पारदर्शिता में सुधार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- **अनुसंधान और विकास:** वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और 5जी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना।

निष्कर्ष:

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, लेकिन डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और डेटा गोपनीयता मुद्दे जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। डिजिटलीकरण को और बढ़ाने के लिये भारत को समावेशिता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा एक मज़बूत नियामक ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इससे न केवल आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि डिजिटलीकरण का लाभ सभी नागरिकों तक पहुँचे।

Q8. सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तीव्र आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत MSME पर ध्यान केंद्रित करते हुए विनिर्माण क्षेत्र के महत्त्व से कीजिये। आप प्रासंगिक डेटा और आँकड़ों के साथ अपने परिचय की पुष्टि कर सकते हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और सकल घरेलू उत्पाद में MSME की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिये।
- इन नीतिगत उपायों के प्रभावों का उल्लेख करते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

तेज़ आर्थिक विकास के लिये सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर MSME की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास, रोज़गार और निर्यात का एक प्रमुख चालक है। यह आयात पर निर्भरता कम करने तथा भुगतान संतुलन में सुधार करने में भी मदद करता है।

भारत में MSME क्षेत्र 100 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और विनिर्माण उत्पादन का 45% तथा देश के निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा है। यह क्षेत्र विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% एवं सेवा गतिविधियों का 25% योगदान देता है। MSME बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक तेज़ व नवोन्मेषी हैं, और ये बदलती बाज़ार स्थितियों के लिये जल्दी से अनुकूल हो सकते हैं।

मुख्य भाग:

सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और सकल घरेलू उत्पाद में MSME की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कई कदम उठाए हैं। इसमे निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:

- **मेक इन इंडिया:** वर्ष 2014 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ाना और अनुकूल व्यापारिक वातावरण/व्यावसायिक परिवेश बनाकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP):** यह एक व्यापक नीति है जिसे एक दशक के भीतर सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने और 100 मिलियन नौकरियाँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। यह एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।
- **MSME विकास अधिनियम, 2006:** यह अधिनियम भारत में MSME के प्रचार और विकास के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह MSME के वर्गीकरण के मानदंडों को परिभाषित करता है, पंजीकरण और ऋण सुविधाएँ प्रदान करता है तथा MSME हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करता है।
- **MSE के लिये सार्वजनिक खरीद नीति, 2012:** यह नीति अनिवार्य करती है कि केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 25% MSE से होना चाहिये जिसमें से 4% SC/ST के स्वामित्व वाले MSE से एवं 3% महिला स्वामित्व वाले MSE से होना चाहिये। यह MSE के लिये मूल्य वरीयता व निविदा निर्धारित करने का भी प्रावधान करता है।
- **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS):** यह योजना MSE को उनके संयंत्र और मशीनरी के प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
- **एस्पायर (ASPIRE) योजना:** वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग को बढ़ावा देना है। यह इनक्यूबेशन केंद्र, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर और आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान करता है।
- **स्फूर्ति योजना:** यह योजना खादी, कॉयर और बाँस जैसे पारंपरिक उद्योगों के समूहों के विकास का समर्थन करती है। यह बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, विपणन, कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण के लिये सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

इन नीतियों और कार्यक्रमों का भारत में विनिर्माण क्षेत्र एवं MSME पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत में विनिर्माण क्षेत्र में 2022-23 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.8% की वृद्धि हुई। यह पिछले एक दशक

से अधिक समय में विनिर्माण क्षेत्र की सबसे ऊँची वृद्धि दर है। MSME क्षेत्र में भी रिकवरी के मज़बूत संकेत दिखे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, MSME क्षेत्र ने 2021-22 में भारत की GDP में 29.6% का योगदान दिया। इस क्षेत्र में अगले पाँच वर्षों में 1.25 करोड़ नई नौकरियाँ उत्पन्न होने की भी उम्मीद है।

Q9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ावा देने के क्रम में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की क्षमता का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सूक्ष्म सिंचाई क्या है इसे परिभाषित कीजिये और संक्षेप में PMKSY की व्याख्या कीजिये तथा दोनों के बीच संबंध बनाने का प्रयास कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि सूक्ष्म सिंचाई PMKSY के लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे योगदान दे सकती है।
- मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए और PMKSY के ढाँचे के भीतर खेती में क्रांति लाने में सूक्ष्म सिंचाई की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) कृषि उत्पादकता में सुधार और देश में संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2015 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन है। PMKSY का सिद्धांत "हर खेत को पानी" (हर खेत के लिये पानी) और "प्रति बूंद अधिक फसल" है। सूक्ष्म सिंचाई एक कम दबाव, कम-प्रवाह-दर वाली सिंचाई है जो किसी परिदृश्य में अत्यधिक पानी भरने की संभावना को कम कर सकती है। यह सीधे पानी वहाँ पहुँचाता है जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है-पौधों के जड़ों में।

निकाय:

कुछ तरीके जिनसे सूक्ष्म सिंचाई PMKSY के उद्देश्यों में योगदान दे सकती है:
- यह किसानों को ऐसी फसलें उगाने में सक्षम बनाकर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्रों का विस्तार करने में सहयता कर सकता है जो कम पानी की मात्रा के साथ पारंपरिक प्रणालियों के अंतर्गत संभव नहीं होगा।
- यह पंपिंग के लिये पानी की खपत और ऊर्जा के उपयोग को कम करके जल उपयोग दक्षता में सुधार करने में सहयता कर सकता है। सूक्ष्म सिंचाई फर्टिगेशन में भी सहयता कर सकती है, जो सिंचाई के पानी के माध्यम से उर्वरकों का अनुप्रयोग है, इस प्रकार उर्वरक लागत में बचत होती है और पोषक तत्त्व उपयोग दक्षता में सुधार होता है।
- यह सूक्ष्म खेती में सहयता कर सकता है, जिसमें मिट्टी और पौधों की स्थिति और ज़रूरतों के अनुसार पानी और कृषि रसायनों का उपयोग होता है। इसे उभरती कम्प्यूटरीकृत GPS-आधारित प्रौद्योगिकियों और वायरलेस सेंसर नेटवर्क का उपयोग करके हासिल किया जा सकता है जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण कर सकते हैं।
- यह जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाने और सतही अपवाह और गहरे रिसाव को कम करके और वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म-जलसंभर विकास को बढ़ावा देकर स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने में सहयता कर सकता है।
- यह फसल की पैदावार और आय बढ़ाकर, इनपुट लागत और जोखिमों को कम करके और फसल विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाकर कृषक समुदाय की आजीविका और कल्याण में सुधार करने में सहयता कर सकता है।

निष्कर्ष:

इसलिये, स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों पर शुरू से अंत तक समाधान के साथ सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और केंद्रित तरीके से जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये सूक्ष्म सिंचाई PMKSY का एक प्रमुख घटक हो सकता है।

Q10. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए FDI में आई हालिया गिरावट के कारणों का विश्लेषण कीजिये। भारत में FDI बढ़ाने हेतु उपचारात्मक सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- अपने उत्तर की शुरुआत एक संक्षिप्त परिचय के साथ विशेषकर विकास और FDI प्रवाह से संबंधित कुछ आंकड़ों को देकर कीजिये।
- भारत के लिये FDI के महत्त्व की गणना कीजिये।
- FDI में गिरावट के कारण और आवश्यक उपचारात्मक उपायों की गणना कीजिये।
- अपने उत्तर के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालिये और भारत के लिये FDI के महत्त्व को दोहराएँ।

परिचय:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एक प्रकार का सीमा पार निवेश है जिसमें एक देश का निवेशक दूसरे देश के किसी उद्यम में स्थायी रुचि स्थापित करता है। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2022 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में 12% की गिरावट आई है।

मुख्य भाग:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का महत्त्व:

- **आर्थिक विकास:** FDI बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक विस्तार और तकनीकी उन्नति के लिये विदेशी पूंजी लगाकर आर्थिक विकास को गति देता है। जैसे FDI, PLI आदि के कारण भारत में सिलिकॉन चिप्स का निर्माण करना।
- **रोज़गार सृजन:** FDI रोज़गार प्रदान करता है, जिससे भारत की जनसंख्या संबंधी चुनौतियों जैसे बेरोज़गारी और गरीबी को कम करने में सहायता मिलती है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** बहुराष्ट्रीय निगम उन्नत प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता लाते हैं, जैसे फ्रांस से ब्रह्मोस एवं जेट इंजन या पनडुब्बी जो घरेलू नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- **भुगतान संतुलन:** FDI विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है, जो आर्थिक स्थिरता और व्यापार घाटे के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **औद्योगिक विकास:** यह विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करता है और "मेक इन इंडिया" पहल के साथ संरेखित करता है। जैसे हवाई जहाज़ निर्माण में एयरबस का टाटा के साथ निवेश करना।
- **वैश्विक एकीकरण:** FDI भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

FDI प्रवाह में गिरावट के कारण:

- **अमेरिका और यूरोप में उच्च मुद्रास्फीति और मांग में कमी:** इन कारकों ने निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को कम कर दिया है।
- **नई नीति सुधार और राज्य-स्तरीय सुधारों का अभाव:** हाल के वर्षों में FDI नियमों को उदार बनाने या राज्य स्तर पर कारोबारी माहौल में सुधार के लिये कुछ कदम उठाए गए हैं।
- **वैश्विक निराशावाद:** वैश्विक निराशावाद सीमा पार विलय और अधिग्रहण (M&A) में बड़ी गिरावट का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। पश्चिमी निगम बड़े निवेश करने को लेकर सतर्क होते हैं।
- **भू-राजनीति:** भू-राजनीतिक रणनीतियाँ भी महत्त्वपूर्ण होती है। भारत ने चीन के साथ वर्ष 2020 की सीमा झड़पों के बाद चीनी FDI से सावधान रहना शुरू कर दिया था।
- **तकनीकी और अन्य उद्योग:** FDI में गिरावट प्रौद्योगिकी से परे उद्योगों को प्रभावित करती है।
- **नीतिगत अनिश्चितता:** निवेशकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है और बीच में ही नीतिगत बदलावों का सामना करना पड़ता है।
- **प्रतिस्पर्धा का असमान स्तर:** असमानताएँ निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
- **व्यापार समझौतों से अनुपस्थिति:** RCEP जैसे समझौतों से भारत की अनुपस्थिति और यूरोपीय संघ के व्यापार सौदों की कमी FDI आकर्षण में बाधा बनती है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा निवेशकों को, विशेषकर लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा क्षेत्रों में, रोकता है।

FDI बढ़ाने के लिये उपचारात्मक उपाय:

- **स्थिर और पूर्वानुमेय नीतियाँ:** एक स्थिर और पूर्वानुमेय नियामक वातावरण सुनिश्चित करना।
- **व्यवसाय करने में आसानी:** प्रक्रियाओं को सरल करना, नौकरशाही को कम करना और व्यवसाय करने में सरलता लाना ।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश:** FDI का समर्थन करने के लिये परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
- **व्यापार समझौतों में भागीदारी:** बेहतर बाज़ार पहुँच के लिये क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में संलग्न होना।
- **'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना:** PLI योजना जैसी पहल के माध्यम से विनिर्माण निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **निवेशक की सुरक्षा:** निवेशक सुरक्षा तंत्र और विवाद समाधान प्रणाली को मज़बूत करना।
- **कौशल विकास:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार का समर्थन करने के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये FDI को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, भारत को अपनी वृद्धि के लिये केवल FDI और विदेशी निवेश पर निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि निवेश के अन्य स्रोतों का भी पता लगाना चाहिये।

Q11. खुला बाज़ार परिचालन (OMOs) क्या है तथा इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरें किस प्रकार प्रभावित होती हैं ? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- खुले बाज़ार संचालन को एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि OMO मुद्रा आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। यह भी बताइये कि OMO ब्याज दरों को कैसे प्रभावित करता है।
- आप मौद्रिक नीति के संदर्भ में उनके महत्त्व का उल्लेख करते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये।

परिचय:

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO), अर्थव्यवस्था में तरलता को समायोजित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्राथमिक उपकरणों में से एक है। OMO में खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों, जैसे ट्रेज़री बिल, बॉण्ड और सूचनाओं की खरीद और बिक्री शामिल है।

निकाय:

OMO कैसे कार्य करते हैं और मुद्रा आपूर्ति तथा ब्याज दरों पर उनका प्रभाव:

- **प्रतिभूतियाँ खरीदना और बेचना:** जब कोई केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति बढ़ाना चाहता है, तो वह खुले बाज़ार में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदकर OMO आयोजित करता है। इसके विपरीत, जब इसका लक्ष्य धन आपूर्ति को कम करना होता है, तो यह इन प्रतिभूतियों को बाज़ार में बेच देता है।
- **धन आपूर्ति पर प्रभाव:**
  - **प्रतिभूतियाँ ख़रीदना (धन आपूर्ति का विस्तार करना):** जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ खरीदता है, तो वह बैंकिंग प्रणाली में धन संग्रह करता है। बैंक, केंद्रीय बैंक को बेची जाने वाली प्रतिभूतियों के बदले में नकदी प्राप्त करते हैं। जिसके बदले में वे वाणिज्यिक बैंकों के भंडार को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक धन उधार देने की अनुमति मिलती है। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का विस्तार होता है।
  - **प्रतिभूतियाँ बेचना (धन आपूर्ति का अनुबंध करना):** इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेचता है, तो वह बैंकिंग प्रणाली से धन निष्कर्षण करता है। बैंक इन प्रतिभूतियों के लिये अपने आरक्षित भंडार से भुगतान करते हैं, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। इससे धन आपूर्ति में कमी आती है, परिणामस्वरूप व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये ऋण लेना अधिक महंगा हो सकता है।
- **ब्याज दरों पर प्रभाव:**
  - **प्रतिभूतियाँ ख़रीदना (ब्याज दरें कम करना):** केंद्रीय बैंक की खरीद के परिणामस्वरूप धन आपूर्ति में वृद्धि **अल्पकालिक ब्याज दरों पर दबाव डालती है। जब बैंकों के पास ऋण देने हेतु** अधिक धन होता है और ऋणकर्त्ताओं में प्रतिस्पर्द्धा होती है, तो वे ऋणकर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिये ब्याज दरें कम कर देते हैं। इससे ऋण लेना सस्ता हो सकता है, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **प्रतिभूतियाँ बेचना (ब्याज दरें बढ़ाना):** इसके विपरीत, जब **केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेचता है और धन आपूर्ति का अनुबंध करता है, तो इससे अल्पकालिक ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है।** ऋण देने के लिये कम धनराशि उपलब्ध होने से, बैंक अधिक ब्याज दरें वसूल सकते हैं, जिससे ऋण लेना अधिक महंगा हो जाएगा। **इससे मुद्रास्फीति को रोकने उससे निपटने में सहायता मिल सकती है।**

निष्कर्ष:

अंतत: किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को ठीक करने के लिये OMO केंद्रीय बैंकों के लिये एक बहुमुखी और प्रभावी उपकरण है। ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना शामिल है।

Q12. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने से कराधान संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन आया है, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है। चर्चा कीजिये (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए प्रारंभ कीजिये।
- कराधान प्रणाली में सुधार में GST संरचना की भूमिका और महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- GST व्यवस्था की कमियों को देखते हुए इसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है ? स्पष्ट कीजिये।
- आप GST व्यवस्था के प्रमुख कारकों के साथ इसकी विभिन्न आर्थिक संभावनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भारत की कर प्रणाली में बदलाव लाने वाला एक ऐतिहासिक परिवर्तन घोषित करते हुए लागू किया गया। GST, एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन का आधार पहले से मौजूद असंबद्ध और जटिल कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना था। इसके लिये एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी, जिसको "एक राष्ट्र, एक कर" के विचार को बढ़ावा देने वाले 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लागू किया गया था।

संरचना:

GST व्यवस्था के लाभ तथा महत्त्व:

- **सरलीकरण एवं एकीकरण:** GST, कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट के साथ अन्य करों को एकल व्यापक कर से बदल दिया गया। इस कदम के माध्यम से कर संरचना को सरल बना दिया गया, जिससे व्यवसायों के लिये अनुपालन करना आसान हो गया साथ ही कर चोरी भी कम हुई है।
- **व्यवसायिक सुगमता को प्रोत्साहन:** एक सरलीकृत कर प्रणाली का उद्देश्य व्यापार करने की सुगमता में सुधार करना, निवेश को प्रोत्साहित करना एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।
- **अनुपालन में डिजिटलीकरण:** पिछली व्यवस्था की तुलना में, सरकार का कर अनुपालन का स्वचालन एक बड़ी सफलता रही है, साथ ही प्रभावी ढंग से संचालित हुई है। GST के तहत सभी अनुपालनों के लिये 'वन-स्टॉप-शॉप' पोर्टल अर्थात जीएसटी नेटवर्क (GSTN) की शुरुआत के कारण यह संभव हो पाया है।
- **प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग:** इसके पश्चात, GSTN द्वारा नीति निर्धारण को बढ़ाने, धोखाधड़ी का पता लगाने के साथ अनुपालन में सुधार के लिये उपलब्ध डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने के लिये एक बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (BIFA) इकाई की स्थापना की।
- **सहकारी संघवाद:** GST शासन का एक अनिवार्य घटक है साथ ही इसकी सर्वसम्मति-आधारित राजकोषीय संघीय संरचना है, जिसका उदाहरण GST परिषद द्वारा दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें महत्त्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर एक साथ काम कर रही हैं।
- **कर आधार का विस्तार:** सामान्य तौर पर, GST ने उपभोक्ताओं पर समग्र अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम कर करने के साथ ही भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। कर आधार में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में वृद्धि भी हुई है।
- **GST कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है:** GST, एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे अप्रत्यक्ष कराधान को एक छतरी के नीचे लाने के लिये डिज़ाइन किया गया था। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने जा रहा है जो पहले स्पष्ट था। व्यापक कर प्रभावों को 'टैक्स पर टैक्स' के रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है।

GST कार्यान्वयन में चुनौतियाँ एवं कठिनाइयाँ:

- **अनेक टैक्स स्लैब:** GST व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक कई टैक्स स्लैब की उपस्थिति है। GST में पाँच टैक्स स्लैब हैं - 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%।
  - इस बहुलता ने व्यवस्था को जटिल बना दिया है और वर्गीकरण विवादों को जन्म दिया है, क्योंकि उत्पादों एवं सेवाओं को इन स्लैबों में से एक के तहत वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के लिये भ्रम और अनुपालन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **अनुपालन का बोझ:** GST अनुपालन में विभिन्न रिटर्न दाखिल करना तथा विभिन्न नियमों एवं विनियमों का पालन करना शामिल है।
  - इससे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के लिये अनुपालन बोझ बढ़ गया है, जिससे नई कर व्यवस्था को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नियमित फाइलिंग की आवश्यकता के साथ डिजिटल इंटरफेस प्राय: छोटे व्यवसायों के लिये कठिनाइयों का कारण बनते हैं।
- **तकनीकी मुद्दे:** GST व्यवस्था के आईटी फाउंडेशन, जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने सर्वर आउटेज के साथ अन्य तकनीकी समस्याओं का अनुभव किया है, जिससे करदाताओं की रिटर्न दाखिल करने एवं कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने की क्षमता बाधित हुई है। इससे न केवल देरी होती है, बल्कि व्यवसायों में निराशा भी बढ़ती है।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) विसंगतियाँ:** इनपुट-टू-आउटपुट (ITC) तंत्र के साथ समाधान समस्याओं की सूचना प्रदान की गई, जो उद्यमों को उनकी आउटपुट देनदारियों से इनपुट करों में कटौती करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ITC के दावों में विसंगतियों के कारण व्यवसायों एवं कर अधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे व्यवसायों पर बोझ अधिक हो गया है।

- **चोरी एवं धोखाधड़ी:** हालाँकि GST के लागू होने से कर चोरी में कमी आने का अनुमान था, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ है। व्यवस्था की जटिलता तथा इसकी कई कमियों के कारण, कुछ व्यवसाय कर धोखाधड़ी और चोरी करते रहते हैं।
- **मुनाफाखोरी विरोधी उपाय:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि कंपनियाँ ग्राहकों को कम कर दरों का लाभ प्रदान करते हुए मुनाफाखोरी विरोधी कानून प्रस्तुत किये गए। हालाँकि, इन उपायों के कार्यान्वयन की जटिलता और संघर्ष भड़काने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- **अंतरराज्यीय लेन-देन मुद्दे:** कई राज्य कर प्राधिकरणों तथा अनुपालन आवश्यकताओं से निपटने वाली कंपनियों ने अंतरराज्यीय लेनदेन में संलग्न होने पर चुनौतियों की सूचना दी है। केंद्र और राज्य कर अधिकारियों के बीच दोहरे नियंत्रण का मुद्दा इस मामले को और भी अधिक जटिल बनाता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव:** अनौपचारिक क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, GST द्वारा लाए गए औपचारिकीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के कई छोटे व्यवसायों को नई कर प्रणाली को अपनाने के लिये संघर्ष करना पड़ा है।

निष्कर्ष:

भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरूआत निश्चित रूप से कर सुधार में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर थी। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता कई कर स्लैब, अनुपालन बोझ, प्रौद्योगिकी मुद्दों एवं कर चोरी सहित कई विसंगतियों और चुनौतियों से प्रभावित हुई है। इन मुद्दों के बावजूद, GST भारत की कराधान संरचना में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है साथ ही इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ कर व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने की क्षमता है। भारत में GST की निरंतर सफलता के लिये इन चुनौतियों का समाधान करना एवं कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

Q13. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन की भूमिका और एक मजबूत कुशल विपणन प्रणाली प्राप्त करने में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने, किसानों और समग्र अर्थव्यवस्था के लाभ तथा कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं? प्रासंगिक उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- कृषि विपणन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण देते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिये।
- एक मज़बूत और कुशल कृषि विपणन प्रणाली को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- इन चुनौतियों का समाधान करने एवं कृषि विपणन को बढ़ावा देने वाले उपायों का वर्णन कीजये।
- प्रासंगिक उदाहरणों के साथ कृषि विपणन प्रणाली के प्रमुख कारकों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

खेत से कृषि उत्पादों को खरीदने, बेचने और ग्राहक तक वितरित करने की प्रक्रिया को कृषि विपणन कहा जाता है। इसमें बिचौलियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है, जिसमें कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ शामिल हैं, जो सभी कृषि वस्तुओं की आवाजाही में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन की भूमिका बहुआयामी है।

संरचना:

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन की भूमिका:

- **आय सृजन:** कृषि विपणन लाखों लोगों के लिये, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्रोत प्रदान करता है। किसान, व्यापारी, मजदूर और परिवहन कर्मचारी सभी अपनी आजीविका कृषि विपणन प्रणाली से प्राप्त करते हैं।
- **लागत का पता लगाना:** यह कृषि उपज के लिये उचित मूल्य निर्धारित करने में सहायता करता है, जिससे किसानों को अपने निवेश पर उचित रिटर्न प्राप्त होता है।
  - हालाँकि, वर्तमान विपणन प्रणाली प्राय: किसानों को बिचौलियों की स्वेच्छा पर छोड़ देती है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य के आधार पर शोषण होता है।
- **बाज़ार तक पहुँच:** यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाज़ारों से जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुँचे। इससे फसल बर्बादी कम होती है तथा आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता प्राप्त होती है।
- **खाद्य आपूर्ति शृंखला के साथ एकीकरण:** कृषि विपणन खाद्य आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुँचे। खाद्य सुरक्षा के लिये एक अच्छी तरह से काम करने वाली विपणन प्रणाली महत्त्वपूर्ण है।

कृषि विपणन में चुनौतियाँ:

- **बिचौलियों का शोषण:** किसान प्राय:स्वयं को बिचौलियों की स्वेच्छा पर निर्भर होते हैं जो कीमतों में हेर-फेर करते हुए उच्च कमीशन वसूलते हैं। इस शोषण के परिणामस्वरूप किसानों को अंतिम उपभोक्ता मूल्य का न्यूनतम भाग ही प्राप्त होता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शीत भंडारण सुविधाओं और गोदामों जैसी उचित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिये इसके परिणामस्वरूप फसल के बाद अत्यधिक हानि होती है।
- **अपर्याप्त बाज़ार जानकारी:** समय पर एवं सटीक बाज़ार जानकारी के अभाव में किसानों को अपनी उपज कब और कहाँ बेचनी है, इसके बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे और अधिक अक्षमताएँ जन्म लेती हैं।
- **अप्रभावी मूल्य खोज तंत्र:** प्रचलित मूल्य खोज तंत्र प्राय: त्रुटिपूर्ण होते हैं, जिससे किसानों के लिये कीमतें अस्थिर एवं अप्रत्याशित हो जाती हैं। यह अस्थिरता उनकी आय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है।
- **नियामक बाधाएँ:** भारत में कृषि विपणन व्यवस्था विभिन्न नियमों के अधीन है, जो बोझिल और जटिल हो सकती है। ये नियम अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं साथ ही किसानों एवं व्यापारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों में वृद्धि करते हैं।

चुनौतियों का समाधान करने के उपाय:

- **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सुदृढ़ बनाना:** FPO किसानों को सामूहिक रूप से उनकी उपज का विपणन करने एवं बेहतर कीमतों पर चर्चा करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारी समर्थन एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रम FPO की प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश:** आधुनिक भंडारण सुविधाएँ, परिवहन नेटवर्क और बाज़ार यार्ड विकसित करने से फसल के बाद होने वाली हानि को कम किया जा सकता है साथ ही बाज़ार पहुँच में सुधार किये जा सकता है। किसानों द्वारा उपभोक्ताओं अथव थोक खरीदारों के लिये सीधे विपणन को बढ़ावा देने से बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती है और साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।
- **बाज़ार सूचना प्रणाली:** प्रौद्योगिकी-संचालित बाज़ार सूचना प्रणालियों को लागू करने से किसानों को कीमतों के साथ मांग पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त हो सकती है। e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) जैसी पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं।
- **APMC अधिनियमों में सुधार:** राज्य सरकारों को कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) अधिनियमों में सुधार करना चाहिये ताकि उन्हें अधिक किसान-अनुकूल बनाया जा सके साथ ही कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया जा सके। नीति निर्माताओं को कृषि विपणन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे की समीक्षा के साथ उसका सरलीकरण करना चाहिये ताकि इसे अधिक निवेशक-अनुकूल एवं कुशल बनाया जा सके।
- **अनुबंध खेती:** अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करने से किसानों को मूल्य स्थिरता के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी एवं इनपुट तक पहुँच प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में स्पष्ट अनुबंध और विवाद समाधान तंत्र आवश्यक हैं।

उदाहरण:

- **गुजरात में अमूल सहकारी समिति:** कृषि विपणन सुधार का एक सफल उदाहरण गुजरात में अमूल सहकारी समिति के बारे में है। डेयरी किसानों की सहकारी संस्था के रूप में शुरू हुई अमूल, भारत की सबसे प्रमुख और सफल कृषि विपणन संस्थाओं में से एक बन गई है।
- **e-NAM पहल:** एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण e-NAM पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाना है। पारदर्शी मूल्य खोज के साथ व्यापार के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके, e-NAM में विपणन प्रणाली की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है।

निष्कर्ष:

कृषि विपणन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। हालाँकि, इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसकी दक्षता तथा किसानों के कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। सुधारों के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे में निवेश तथा प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने से अधिक मज़बूत एवं कुशल कृषि विपणन प्रणाली को जन्म दिया जा सकता है। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा तथा फसल कटाई के बाद के हानि में कमी सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे किसानों, उपभोक्ताओं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र रूप से लाभ प्राप्त होगा। किसानों की आय दोगुनी करने एवं समग्र कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कृषि विपणन सुधार एक आवश्यक कदम है।

Q14. हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की ओर रुझान बढ़ा है। इस दिशा में भारतीय बाज़ार में वर्तमान में कौन सी बाधाएँ मौजूद हैं और भारत सरकार ने उन्हें संबोधित करने के लिए क्या उपाय लागू किये हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि क्यों हो रही है, इस पर एक सामान्य परिचय दीजिये।
- भारतीय बाज़ार में मौजूद बाधाओं का उल्लेख कीजिये।
- चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिये।
- सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

इलेक्ट्रिक वाहनों

(EVs) को अपनाना एक वैश्विक घटना है, जो पर्यावरणीय चिंताओं और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। भारत में यह प्रवृत्ति कोई अपवाद नहीं है। हालाँकि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो इसकी वृद्धि में बाधा बनती हैं तथा इसके लिये सरकार के रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

मुख्य भाग:

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार की बाधाएँ:

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत बहुत अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरियों का उपयोग किया जाना है।
- **चार्जिंग अवसंरचना की कमी:** इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ी समस्या बैटरी की सीमित रेंज (एक बार चार्ज करने पर अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता) का होना है। ऐसे में पर्याप्त संख्या में चार्जिंग पॉइंट्स का न होना एक बड़ी समस्या है।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी:** इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी की तकनीक में रेंज, चार्जिंग गति और दीर्घावधि के मामले में सुधार की आवश्यकता है।
- **आपूर्ति शृंखला:** लिथियम-आयन बैटरी, जो इलेक्ट्रिक वाहन का एक प्रमुख घटक है, के उत्पादन के लिये विशिष्ट खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों की आवश्यकता होती है।
  - भारत वर्तमान में बैटरी निर्माण के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे आपूर्ति शृंखला में चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

सरकारी उपाय:

- **FAME योजना:** सरकार ने उपभोक्ताओं के लिये अग्रिम लागत को कम करने तथा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से FAME योजना लागू की है।
- **चार्जिंग संबंधी अवसंरचना:** चार्जिंग अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये 'इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर' और 'गो इलेक्ट्रिक' जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं, ताकि राज्यों को सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- दिल्ली सरकार के 'स्विच दिल्ली' अभियान का लक्ष्य शहर में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है, लेकिन इस तरह के अभियानों की और आवश्यकता है।
- **GST में कटौती:** इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 12% से घटाकर 5% करने से वे अधिक किफायती हो गए हैं।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह इलेक्ट्रिक वाहनों और घटकों के निर्माण के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

भारत सरकार देश के भविष्य हेतु सतत् परिवहन के महत्त्व को पहचानते हुए इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार की बाधाओं को दूर करने के लिये कदम उठा रही है। लागत संबंधी चिंताओं को दूर कर, बुनियादी ढाँचे में सुधार और अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके भारत एक स्वच्छ, सतत् परिवहन क्षेत्र की दिशा में प्रगति कर रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में धीरे- धीरे वृद्धि हो रही है।

Q15. भारतीय संदर्भ में कृषि उत्पादों के वितरण (Transportation) और विपणन से जुड़ी जटिलताओं का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- कृषि उत्पादों के वितरण और विपणन से संबंधित जटिलताओं के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- इसके लिये एक कुशल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भारत को अपनी उपज के वितरण और विपणन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिससे कुल उपज के लगभग 15% का नुकसान होने से किसानों की आय एवं उपभोक्ता तक इसकी पहुँच प्रभावित होती है।

मुख्य भाग:

परिवहन बाधाएँ:

- **कमज़ोर बुनियादी ढाँचा:** भारत में 63,72,613 किमी. का सड़क नेटवर्क (विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क) है। इसमें से 70% सड़कें पक्की हैं और 30% सड़कें कच्ची हैं।
- अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र समन्वय, मानकीकरण, नवाचार और विनियमन की कमी से ग्रस्त है। भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13-14% अनुमानित है, जो वैश्विक औसत (8-9%) से काफी अधिक है।
- **सीमित भंडारण सुविधाएँ:** भारत में भंडारण क्षमता अपर्याप्त एवं असमान रूप से वितरित है। भारत की लगभग 60% शीत भंडारण क्षमता पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में केंद्रित है।
- भारत में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 37-39 मिलियन टन है, लेकिन इसकी केवल 60% क्षमता का ही उपयोग हो पाता है।
- **निवेश की कमी:** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं पर स्टॉक सीमा, मूल्य नियंत्रण और निर्यात प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे भंडारण एवं परिवहन क्षेत्र में निजी निवेश तथा नवाचार हतोत्साहित होता है।

विपणन मुद्दे:

- **बाज़ार विखंडन:** भारत में अलग-अलग नियमों और बुनियादी ढाँचे के साथ 6,000 से अधिक कृषि बाज़ार हैं। इनमें जटिलता होने के साथ पारदर्शिता की कमी के कारण विपणन अक्षम हो जाता है।
  - इसके अलावा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियम के तहत किसानों को अपनी उपज को केवल निर्दिष्ट बाज़ारों में बेचना होता है।
- **बाज़ार की जानकारी का अभाव:** कई किसानों को विभिन्न बाज़ारों में कृषि उत्पादों की मांग, आपूर्ति एवं कीमतों के बारे में विश्वसनीय और समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है।
  - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में केवल 5.8% किसानों ने ही बाज़ार की जानकारी हेतु किसी स्रोत का उपयोग किया।
- **मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव:** भारत में कृषि उत्पादों को उनकी गुणवत्ता, मात्रा एवं विविधता के अनुसार मानकीकृत तथा वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इससे बाज़ार में मिलावट संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं।
  - खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 113 देशों में से 74वें स्थान पर है।

आगे की राह:

- सड़क, रेलवे, जलमार्ग, हवाई अड्डे, भंडारण के रूप में कृषि उपज हेतु बुनियादी ढाँचे संबंधी सुविधाओं में सुधार करना।
- कृषि उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, जैसे- उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा और विविधता के अनुसार ग्रेडिंग, लेबलिंग, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण सुविधा प्रदान करना।
- नीतिगत सुधारों, डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विपणन चैनलों, प्रत्यक्ष विपणन, कृषक बाज़ार, अनुबंध कृषि एवं ई-ट्रेडिंग जैसे नवीन मॉडल के माध्यम से बाज़ार एकीकरण एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना।
- **eNAM की पहुँच का विस्तार करना:** eNAM प्लेटफॉर्म को दूरदराज़ के क्षेत्रों सहित सभी किसानों के लिये अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारतीय कृषि प्रणाली को पुनर्जीवित करने के साथ बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, किसान सशक्तीकरण और मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से वितरण एवं विपणन चुनौतियों का समाधान करने से न केवल किसान समृद्ध होंगे बल्कि गुणवत्तापूर्ण उपज तक उपभोक्ताओं की पहुँच सुनिश्चित होगी।

Q16. समावेशी विकास की अवधारणा बताते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- समावेशी विकास के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- सामाजिक-आर्थिक विकास में समावेशी विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

OECD के अनुसार, समावेशी विकास का आशय ऐसे आर्थिक विकास से है जिसके लाभ पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होते हों और इसमें सभी को अवसर प्राप्त हों। इसमें विकास के पारंपरिक उपागमों से परे सामाजिक संकेतकों को ध्यान में रखने के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि हाशिये पर रहने वाले समूह सक्रिय रूप से विकास प्रक्रिया में भाग लें और इससे लाभान्वित हों।

मुख्य भाग:

समावेशी विकास के सिद्धांत:

- **भागीदारी:** इसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी लोग (आय, लिंग, जातीयता, विकलांगता या स्थान से परे) आर्थिक गतिविधि में योगदान दे सकें और उससे लाभ उठा सकें।
- **समानता:** आय, धन और अवसरों में असमानताओं को कम करने के साथ सामाजिक गतिशीलता एवं समावेशन को बढ़ावा देना।
- **विकास:** उत्पादकता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और नवाचार को बढ़ाना, जिससे अधिक एवं बेहतर रोज़गार सृजित हो सकें।
- **स्थिरता:** आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करना, जिससे भावी पीढ़ियों के लिये प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके।
- **स्थिरता:** व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करना, जिससे राजकोषीय उत्तरदायित्व के साथ आर्थिक असंतुलन के प्रति अनुकूलन बनाए रखा जा सके।

सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व:

- **निर्धनता में कमी के साथ साझा समृद्धि को बढ़ावा:** इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलने के साथ निर्धनता में कमी आती है।
  - बेहतर रोज़गार सृजन, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलने तथा मानव विकास में निवेश होने से हाशिये पर रहने वाले समूहों को आर्थिक भागीदारी के साथ बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सकेगा।
- **सामाजिक स्थिरता और एकजुटता:** असमानताओं को दूर करने तथा न्यायसंगत अवसरों को बढ़ावा देने से सामाजिक तनाव कम होने के साथ निष्पक्षता एवं सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। जिससे दीर्घकालिक स्तर पर सतत् विकास हेतु अधिक स्थिर वातावरण प्राप्त होता है।
- **उत्पादकता में वृद्धि एवं नवाचार:** कुशल और स्वस्थ कार्यबल की शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादकता एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **सतत् विकास:** इससे पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास के बीच संतुलन होने से सतत् विकास सुनिश्चित होता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, पृथ्वी की रक्षा करना तथा सभी के लिये शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष:

सतत् विकास हेतु समावेशी विकास महत्त्वपूर्ण है, जिससे एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का आधार तैयार होता है जिसमें होने वाली प्रगति से सभी को लाभ होने के साथ समानता और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

Q17. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- PDS की दक्षता एवं पारदर्शिता के सुधार में प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। विगत कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने और PDS की समग्र कार्यक्षमता में सुधार करने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है।

मुख्य भाग:

आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना:

- प्रौद्योगिकी ने PDS में योगदान प्रदान करने वाले प्राथमिक तरीकों में से एक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों का कार्यान्वयन है। आपूर्ति शृंखला संचालन के कम्प्यूटरीकरण ने मैन्युअल हस्तक्षेप को काफी कम करने के साथ-साथ त्रुटियों और अक्षमताओं को भी कम किया है।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ePoS के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना:

- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों की शुरूआत PDS के भीतर पारदर्शिता एवं

जवाबदेहिता बढ़ाने में सहायक रही है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण डुप्लिकेट लाभार्थियों को समाप्त करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी वांछित प्राप्तकर्त्ताओं तक पहुँचे।

सूचना प्रसारण के माध्यम से लाभार्थियों को सशक्त बनाना:

- प्रौद्योगिकी ने PDS से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण की सुविधा प्रदान की है। लाभार्थी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पात्रता, कीमतें एवं वितरण कार्यक्रम जैसे महत्त्वपूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

एनालिटिक्स के साथ डेटा-संचालित निर्णय लेना:

- डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग को अपनाने से PDS में निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्रांति आ गई है। ये प्रौद्योगिकियाँ अधिकारियों को मांग पैटर्न की भविष्यवाणी करने, स्टॉक स्तर को अनुकूलित करने और रिसाव या अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं।

निष्कर्ष:

प्रौद्योगिकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास में आधारशिला बन गई है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने से लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने तक, प्रौद्योगिकी ने PDS की दक्षता एवं प्रभावशीलता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

Q18. कृषि उपज के मूल्य को बढ़ाने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- खाद्य प्रसंस्करण के बारे में संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- कृषि उपज के मूल्य एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

खाद्य प्रसंस्करण कृषि और आर्थिक परिदृश्य का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो कच्ची फसल उत्पादन के मूल्य को बढ़ाने एवं समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं, जो कृषि उत्पादों को मूल्यवर्द्धित वस्तुओं में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे वे उपभोग या अन्य उद्योगों में उपयोग के लिये उपयुक्त हो जाते हैं।

मुख्य भाग:

- **कृषि उपज में मूल्यवर्द्धन:** खाद्य प्रसंस्करण कच्चे कृषि माल को प्रसंस्कृत और पैकेज्ड उत्पादों में बदलकर उनका मूल्य बढ़ाता है। इसमें सफाई, छँटाई, कटाई, संरक्षण और पैकेजिंग जैसे चरण शामिल हैं। ये प्रक्रियाएँ शेल्फ लाइफ को बढ़ाती हैं, खराब होने की संभावना को कम करती हैं एवं बाज़ार तक पहुँच को व्यापक बनाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, मूँगफली का उपयोग कई प्रकार के उत्पाद बनाने के लिये किया जा सकता है, जैसे- मूँगफली का मक्खन, मूँगफली का तेल, मूँगफली का आटा, मूँगफली कैंडी, आदि। इन उत्पादों का मूल्य अधिक है तथा इनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है।
- **आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोज़गार के अवसर उत्पन्न करके और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। लघु स्तर के उद्यमों से लेकर बड़े औद्योगिक परिसरों तक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, खेती और परिवहन से लेकर प्रसंस्करण, वितरण एवं खुदरा तक मूल्य श्रृंखला में रोज़गार उत्पन्न करती है।
- **कृषि स्थिरता और कम अपव्यय:** खाद्य प्रसंस्करण फसल के बाद के नुकसान और अपव्यय को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खराब होने वाली फसलों को संरक्षित और संसाधित करके, उद्योग चरम फसल के मौसम के दौरान अधिशेष उपज की विपणन क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।
- **कृषि उत्पादों का विविधीकरण:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि उत्पादों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। यह स्नैक्स और रेडी-टू-ईट भोजन से लेकर प्रसंस्कृत पेय पदार्थों तक खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में सक्षम बनाता है।

चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करने एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिये कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, परिवहन नेटवर्क और आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** स्वचालन और डिजिटलीकरण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने से दक्षता में सुधार हो सकता है, अपव्यय कम हो सकता है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है।
- **कौशल विकास:** केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं।

- **नियामक सुधार:** नियमों को सुव्यवस्थित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकता है।

निष्कर्ष:

सतत् आर्थिक विकास के लिये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। मूल्य संवर्द्धन, रोज़गार सृजन और कृषि स्थिरता के उत्प्रेरक के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपनी संपूर्ण क्षमता को अनलॉक करने तथा आर्थिक विकास एवं खाद्य सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों में योगदान करने के लिये सहायक नीतियों का हकदार है।

Q19. गरीबी के आकलन हेतु केवल मौद्रिक उपायों पर निर्भर रहने की सीमाओं पर चर्चा कीजिये। बहुआयामी दृष्टिकोण से किस प्रकार गरीबी की अधिक व्यापक समझ हो सकती है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- मौद्रिक उपायों तथा गरीबी आकलन के बारे में बताइये।
- गरीबी के आकलन में बहुआयामी दृष्टिकोण के लाभों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

गरीबी एक जटिल घटना है जो लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। केवल आय या उपभोग के आधार पर गरीबी को मापने से लोगों के अभावों की सीमा एवं गहनता का पता नहीं चल सकता है।

मुख्य भाग:

गरीबी का आकलन करने के लिये आय या उपभोग जैसे मौद्रिक उपायों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी कई सीमाएँ हैं:

- **संकीर्ण फोकस:** इससे गरीबी के केवल एक पहलू (वित्तीय संसाधनों) को ध्यान में रखा जाता है। गरीबी बहुआयामी है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक समर्थन एवं अन्य आवश्यक चीजों तक पहुँच की कमी होना शामिल है।
- **मनमानी रेखाओं का निर्धारण:** गरीबी रेखाएँ एक विशिष्ट संदर्भ में मान्यताओं एवं तुलनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इससे इस सीमा से बाहर के समूहों के समक्ष अभाव को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है या इससे विभिन्न क्षेत्रों में जीवन निर्वहन की लागत में अंतराल का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।
- **परिवार संबंधी पूर्वाग्रह:** इससे घरेलू स्तर पर गरीबी का आकलन किया जाता है और परिवार के अंदर सभी के बीच समान संसाधन वितरण माना जाता है। इससे व्यक्तिगत असमानताएँ (विशेषकर घरों में महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों की असुरक्षा) नज़रअंदाज़ होती हैं।
- **स्थिर परिदृश्य:** मौद्रिक उपायों से किसी निश्चित समय पर एक स्थिर परिदृश्य मिलता है जिससे अक्सर गरीबी की गतिशील प्रकृति एवं व्यक्तियों तथा समुदायों पर इसके चक्रीय प्रभाव का पता लगाने में मुश्किल होती है।
- **निर्वाह अर्थव्यवस्थाओं में मापन में कठिनाई:** वस्तु विनिमय एवं आत्मनिर्भरता की बहुलता वाली पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं में इसके तहत गरीबी आकलन मुश्किल हो जाता है।
- **सामाजिक बहिष्कार की उपेक्षा:** केवल आय पर ध्यान केंद्रित करने से गरीबी के सामाजिक आयाम की अनदेखी होती है, जिसमें भेदभाव एवं अवसरों तक सीमित पहुँच शामिल है।

बहुआयामी दृष्टिकोण के लाभ:

बहुआयामी दृष्टिकोण से गरीबी के बारे में समग्र जानकारी मिलती है:

- **व्यापक दायरा:** इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं जीवन स्तर जैसे कई आयामों पर विचार होता है, जिससे वंचना की अधिक सूक्ष्म तस्वीर मिलती है।
- **भेद्यता को समझना:** इससे विभिन्न अभावों के आधार पर गरीबी में शामिल होने के जोखिम वाले व्यक्तियों एवं समूहों की पहचान होती है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप में सहायता मिलती है।
- **विविधता को पहचानना:** इससे विभिन्न क्षेत्रों, संदर्भों एवं सामाजिक समूहों में गरीबी की विविधता को समझकर अधिक न्यायसंगत नीति समाधान प्राप्त होते हैं।
- **गतिशील समझ:** इसके तहत समय के साथ विभिन्न आयामों में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक किया जाता है, जिससे गरीबी की जटिल प्रकृति को समझना आसान होता है।
- **सामाजिक बहिष्कार पर ध्यान देना:** इससे गरीबी में योगदान देने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों पर विचार होता है, जिससे आय सृजन से परे इनके समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है।

बहुआयामी उपागम के उदाहरण:

- गरीबी के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण का एक उदाहरण बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) है, जिसमें तीन मुख्य क्षेत्रों: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर को कवर करने वाले 10 संकेतकों का उपयोग होता है।

- MPI में प्रासंगिकता तथा उपलब्धता के अनुसार संकेतक जोड़कर या संशोधित करके विभिन्न संदर्भों एवं देशों के साथ इसे अनुकूलित किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिये भारत ने अपने राष्ट्रीय MPI में दो नए संकेतक जोड़े हैं: मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते।
- MPI से नीति निर्माताओं को सबसे वंचित क्षेत्रों एवं समूहों की पहचान करने, संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित करने तथा समय के साथ गरीबी में होने वाले बदलाव को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

हालाँकि मौद्रिक उपायों का अपना महत्त्व है लेकिन केवल उन पर ही निर्भर रहने से गरीबी की अधूरी तस्वीर सामने आ सकती है। बहुआयामी दृष्टिकोण के तहत अभाव एवं भेद्यता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किये जाने से गरीबी की अधिक व्यापक समझ के साथ इसकी वास्तविक जटिलता को दूर करने के लिये प्रभावी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त होता है।

Q20. लोक ऋण को परिभाषित करते हुए, भारत में लोक ऋण प्रबंधन से संबंधित प्राथमिक चिंताओं पर चर्चा कीजिये। इन चिंताओं को दूर करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- लोक ऋण और लोक ऋण प्रबंधन का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- भारत में लोक ऋण प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चिंताओं का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक ऋण वह कुल राशि है, जो एक सरकार अपने लेनदारों, जैसे- व्यक्तियों, बैंकों, निगमों या अन्य सरकारों को देती है। लोक ऋण को परिपक्वता, जारीकर्त्ता, स्थान या विपणन क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। लोक ऋण का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग एवं प्रबंधन कैसे किया जाता है। लोक ऋण प्रबंधन (PDM) आवश्यक धनराशि एकत्रित करने, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा किसी भी अन्य ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु एक रणनीति तैयार करने एवं लागू करने की प्रक्रिया है।

मुख्य भाग:

भारत में PDM से जुड़ी कुछ प्राथमिक चिंताएँ हैं:

- **उच्च ऋण-से-GDP (Debt-to-GDP) अनुपात:**
  - मार्च 2023 के अंत में भारत का लोक ऋण-से-GDP अनुपात 85.1% था, जो उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के औसत (60.9%) और वैश्विक औसत (62.5%) से अधिक है।
  - उच्च ऋण-से-GDP अनुपात सरकार के लिये आघातों का जवाब देने और विकासात्मक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये राजकोषीय स्थान को सीमित करता है, ऋण संकट तथा डिफॉल्ट का जोखिम भी बढ़ाता है।
- **बढ़ता ब्याज भुगतान:**
  - ब्याज भुगतान सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है, जो 2020-2023 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 24.5% और उसके राजस्व व्यय का 35.4% है।
  - ब्याज भुगतान बढ़ने से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये ऋण लेने पर निर्भरता भी बढ़ जाती है।
- **ऋण स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ:**
  - ऋण स्थिरता से तात्पर्य किसी देश की अपनी विकास संभावनाओं और राजकोषीय स्थिरता से समझौता किये बिना अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से है।
  - भारत को उच्च ब्याज दर-विकास अंतर के कारण ऋण स्थिरता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो लोक ऋण पर नाममात्र ब्याज दर और नाममात्र GDP विकास दर के बीच का अंतर है।
  - IMF ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2024 में भारत की ब्याज दर-वृद्धि का अंतर 2.6% हो सकता है, जो उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के औसत (0.9%) और वैश्विक औसत (0.4%) से अधिक है।
- **लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी का अभाव**
  - लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) एक स्वतंत्र और विशिष्ट संस्था है, जो केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लोक ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - वर्ष 2017 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) पर एन. के. सिंह समिति की सिफारिश के बावजूद भारत में अभी तक PDMA नहीं है।

भारत में लोक ऋण प्रबंधन की चिंताओं को दूर करने के लिये कुछ संभावित उपाय हैं:

- **राजकोषीय समेकन:**
  - राजकोषीय समेकन का तात्पर्य मध्यम से लंबी अवधि में राजकोषीय घाटे और ऋण-से-GDP अनुपात को कम करने की प्रक्रिया से है।
  - सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% और वर्ष 2030-312 तक ऋण-से-GDP अनुपात 60% हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- **राजस्व संग्रहण:**
  - राजस्व संग्रहण से तात्पर्य कर आधार को व्यापक बनाने, कर संरचना को तर्कसंगत बनाने, कर अनुपालन और प्रशासन में सुधार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर सरकार की राजस्व संग्रह क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया से है।
- **व्यय दक्षता:**
  - व्यय दक्षता से तात्पर्य पूंजी और विकासात्मक व्यय पर ध्यान केंद्रित करके, व्यर्थ एवं अनुत्पादक सब्सिडी को कम करने तथा लोक सेवाओं व योजनाओं की डिलीवरी और निगरानी में सुधार करके लोक व्यय की गुणवत्ता तथा प्रभावशीलता को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया से है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण और निजीकरण:**
  - परिसंपत्ति मुद्रीकरण और निजीकरण गैर-रणनीतिक एवं घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) की पहचान करने तथा उन्हें विभाजित करने, सरकार व PSU के स्वामित्व वाली अधिशेष और कम उपयोग की गई भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करने तथा निजी निवेशकों को दीर्घकालिक पट्टे के लिये बुनियादी ढाँचा परिसंपत्तियों के एक मार्ग निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- **लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी:**
  - लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) एक स्वतंत्र और विशिष्ट संस्था है, जो केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लोक ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - PDMA लोक ऋण की लागत और जोखिम को कम करने, निवेशक आधार में विविधता लाने, घरेलू ऋण बाज़ार को विकसित करने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय एवं संचार सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष:

लोक ऋण प्रबंधन राजकोषीय नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता को प्रभावित करता है। उच्च ऋण, बढ़ते ब्याज भुगतान, ऋण स्थिरता और PDMA की कमी की चुनौतियों का समाधान करने हेतु, सरकार को व्यापकता प्रदान करता है।

Q21. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने की आवश्यकता का वर्णन कीजिये।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने में प्रमुख चुनौतियों को बताइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य स्तर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिये न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिये MSP और गन्ने के लिये उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा करती है।

मुख्य भाग:

न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने की आवश्यकता पर तर्क देने वाले कुछ बिंदु:

- **कृषि की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना:** MSP को वैध बनाना यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज हेतु न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो, उन्हें बाज़ार के उतार-चढ़ाव से बचाया जाए और उनके निवेश तथा श्रम पर उचित रिटर्न सुनिश्चित किया जाए। MSP कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य है, जो कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिये आवश्यक है।
- **किसानों पर ऋण का बोझ कम करना:** MSP में न्यूनतम वृद्धि के कारण और उन्हें घोषित MSP प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है। यदि किसान को अपनी उपज वादे किये गए MSP से कम कीमत पर बेचनी पड़े, तो यह किसानों के

लिये अर्थहीन हो जाता है। इसलिये MSP की कानूनी गारंटी आवश्यक है।

- किसानों पर कुल बकाया कर्ज़ 31 मार्च, 2014 को 9.64 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 23.44 लाख करोड़ रुपए हो गया।

- **किसानों की आजीविका का समर्थन:** MSP को वैध बनाने से लाखों किसानों, विशेष रूप से छोटे और हाशिये पर रहने वाले किसानों की आजीविका का समर्थन करने में सहायता मिलती है, जो बाज़ार की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हैं।
  - देश की लगभग 50% आबादी की आजीविका कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है।
- **जोखिम न्यूनीकरण:** प्राकृतिक आपदाएँ और बाज़ार का सामर्थ्य किसानों को नुकसान पहुँचा रहा है। जलवायु परिवर्तन खेती की जटिलता को बढ़ा रहा है। किसान को मौसम और बाज़ार के सामर्थ्य की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता।
  - MSP को वैध बनाने से एक सुरक्षा जाल मिलता है, जिससे प्रतिकूल बाज़ार परिस्थितियों के दौरान किसानों के लिये आय हानि का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।
- **असमानताओं को संबोधित करना:** शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में निष्कर्ष निकाला कि केवल 6% किसानों को समर्थन मूल्य योजना से लाभ हुआ। MSP को वैध बनाने से किसानों को सीधे एक समान मूल्य की गारंटी प्रदान करके इन मुद्दों को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - मात्र वर्ष 2019-20 में तीन राज्यों – पंजाब, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश – ने गेहूँ की खरीद का 85% हिस्सा लिया।

MSP को वैध बनाने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वित्तीय बोझ:** MSP पर फसलों की खरीद के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और ऐसे खरीद कार्यों को बनाए रखने से सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है।
  - मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों द्वारा समर्थित नहीं होने पर कानूनी MSP काम नहीं कर सकता है।
- **निवेश के लिये हतोत्साहित:** कानूनी MSP कृषि में निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, मूलत: MSP के तहत आने वाली फसलों में।
  - निजी अभिकर्त्ता उन क्षेत्रों में निवेश करने में संकोच कर सकते हैं, जहाँ मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप प्रचलित है जिससे नवाचार और आधुनिकीकरण के प्रयास सीमित हो गए हैं।
- **जल की कमी को बढ़ाना:** धान और गन्ना जैसी MSP समर्थित फसलें जल की अधिक खपत करती हैं, जिससे उन क्षेत्रों में जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है जहाँ उनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।
- **गैर-MSP फसलों की उपेक्षा:** MSP को वैध बनाने से गैर-MSP फसलों की उपेक्षा हो सकती है, जिससे पौष्टिक खाद्य फसलों, दालों और तिलहनों की खेती में कमी आएगी।
  - इसका खाद्य सुरक्षा, आहार विविधता और पोषण संबंधी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेषत: कमज़ोर आबादी के बीच।
- **व्यापार विवाद:** MSP को वैध बनाने से आयातक देशों के साथ व्यापार विवाद हो सकता है, मूलत: यदि सरकार MSP कीमतों को बनाए रखने के लिये सब्सिडी या अन्य प्रकार का समर्थन प्रदान करती है।

अग्रिम मार्ग के रूप में कई उपायों पर विचार किया जा सकता है:

- **संतुलित कृषि मूल्य निर्धारण नीति:** सरकार को MSP और प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं जैसे तंत्रों के माध्यम से कृषि उपज हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये कृषि मूल्य निर्धारण नीति में एक उपयुक्त बदलाव लाना चाहिये।
  - **स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करना:** आयोग ने सिफारिश की कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत (CoP) से कम-से-कम 50% अधिक होनी चाहिये, जिसे वह सी2 लागत के रूप में संदर्भित करता है।
  - **एमएसपी मानदंड का विस्तार:** MSP निर्धारित करते समय किसान द्वारा अपने परिवार के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गए औसत व्यय को भी शामिल किया जाना चाहिये।
  - **मूल्य कमी भुगतान (PDP):** इसमें सरकार को किसी भी फसल की भौतिक रूप से खरीद या स्टॉक नहीं करना है और किसानों को केवल बाज़ार मूल्य एवं MSP के बीच अंतर का भुगतान करना है, यदि MSP कम है। ऐसा भुगतान उनके द्वारा निजी व्यापार को बेची गई फसल की मात्रा पर होगा।
- **किसानों की आय बढ़ाना:** सरकार को कृषि गतिविधियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) के अंतर्गत लाना चाहिये और दैनिक मज़दूरी में भी वृद्धि करनी चाहिये।
  - किसानों की आय के अवसरों को बढ़ाने के लिये फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और उच्च मूल्य एवं जलवायु-लचीली फसलों को बढ़ावा देना।

- **कृषि बुनियादी ढाँचे में निवेश:** कृषि उत्पादकता और बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधाओं, सड़कों, विद्युतीकरण एवं भंडारण क्षमताओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना।
  - अनुसंधान एवं विकास, विस्तार सेवाओं और आधुनिक कृषि आदानों तथा प्रथाओं तक पहुँच के माध्यम से कृषि में प्रौद्योगिकी अपनाने व नवाचार को बढ़ावा देना।
  - अशोक दलवई समिति के प्रस्ताव के अनुसार कृषि और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश 14% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना चाहिये। इसके अलावा, मौजूदा प्रमुख-मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूंजी उपयोग दक्षता में सुधार होना चाहिये।
- **किसानों को सशक्त बनाना:** सामूहिक सौदेबाज़ी, बाज़ारों तक पहुँच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी को सक्षम करने के लिये किसान संगठनों, सहकारी समितियों एवं उत्पादक समूहों को मज़बूत करना।
  - संकट की अवधि, जैसे कि फसल की विफलता, प्राकृतिक आपदाओं, या बाज़ारू आघात के दौरान कमज़ोर कृषक परिवारों को आय और आजीविका सहायता प्रदान करने के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल एवं बीमा योजनाओं का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिये भारत में किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कृषि में निवेश करके और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करके, भारत अपने सभी नागरिकों के लिये अधिक लचीला एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है।

Q22. भारत में गहन औद्योगीकरण की अवधारणा एवं महत्त्व का परीक्षण करते हुए आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में इससे संबंधित संभावित बाधाओं को रेखांकित कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में गहन औद्योगीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में इसके महत्त्व तथा संभावित बाधाओं का परीक्षण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

औद्योगीकरण का आशय आमतौर पर किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों के विकास की प्रक्रिया है वहीं गहन औद्योगीकरण का तात्पर्य संवहनीय एवं समावेशी विकास पर बल देते हुए औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है।

इसमें उद्योगों को उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना शामिल है।

मुख्य भाग:

भारत में गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता:

- **अप्रभावी विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के लिये हाई-टेक अवसंरचना और कुशल जनशक्ति बेहद महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भारत को प्रमुख शहरों के बाहर सीमित दूरसंचार सुविधाओं एवं घाटे में चल रहे राज्य बिजली बोर्डों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत में औद्योगिक नीतियाँ विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान वर्ष 1991 से लगभग 16% के स्तर पर गतिहीन बना हुआ है।
- **पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का अभाव:** अति भाराक्रांत रेल नेटवर्क और विभिन्न समस्याओं से घिरे सड़क परिवहन के साथ भारत की परिवहन अवसंरचना दबाव में है। ये चुनौतियाँ माल की कुशल आवाजाही में बाधा डालती हैं और विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
- **MSME क्षेत्र की बाधाएँ:** मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में MSME क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। MSME क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिये इस पूर्वाग्रह में सुधार की आवश्यकता है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **आयात पर उच्च निर्भरता:** भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, लौह एवं इस्पात, रसायन और उर्वरक सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये विदेशी आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
  - भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल औद्योगिक उत्पादन 38% योगदान देता है।
- **प्रभावी औद्योगिक नीति सुधारों का अभाव:** ऐतिहासिक रूप से, औद्योगिक स्थानों को प्राय: लागत-प्रभावशीलता के बजाय राजनीतिक कारणों से चुना गया। इसके अतिरिक्त, आरंभिक

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से लालफीताशाही एवं श्रम-प्रबंधन संबंधी मुद्दों के कारण अक्षमता एवं हानि की स्थिति बनी, जिससे उन्हें बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण सरकारी व्यय की आवश्यकता हुई।

- **निवेश का चयनात्मक प्रवाह:** उदारीकरण के बाद निवेश के वर्तमान चरण में, जबकि कुछ उद्योगों में पर्याप्त निवेश आ रहा है, कई बुनियादी एवं रणनीतिक उद्योगों जैसे- इंजीनियरिंग, बिजली, मशीन टूल्स आदि में निवेश की धीमी गति चिंता का विषय है।
- **विषम उपभोग-प्रेरित विकास:** व्यापार नीति सुधार पर अधिक बल दिये बिना आंतरिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 'निवेश' या 'निर्यात-प्रेरित विकास' के बजाय 'उपभोग-आधारित विकास' की राह खुली।

भारत के औद्योगीकरण की संभावित चुनौतियाँ:

- **महामारी के बाद भारत का विकृत आर्थिक परिदृश्य:** भारत ने महामारी से अपेक्षाकृत तेज़ी से उबरते हुए अपनी विकास गति को बनाए रखा है। हालाँकि यह 'समय-पूर्व विऔद्योगीकरण' (premature deindustrialization) का अनुभव कर रहा है, जहाँ उच्च विकास से एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ होता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ बढ़ जाती हैं।
  - जहाँ महँगी कारें काफी अधिक मात्रा में बिक रही हैं, वहीं आम लोग उच्च खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं, जो भारत के विकास मॉडल में संरचनात्मक खामियों को उजागर करता है।
- **सेवा-आधारित विकास की कमियाँ:** हालाँकि 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से सेवा-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन इसने कृषि से श्रम को उतने प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं किया है जितना कि विनिर्माण ने किया।
  - इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र को अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, जिससे गहरी असमानताएँ पैदा होती हैं। उच्च शिक्षा में निवेश ने बुनियादी एवं प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा में योगदान किया है, जिससे असमानताएँ और बढ़ गई हैं।
- **शैक्षिक असमानताएँ और औद्योगिक गतिहीनता:** भारत की शिक्षा प्रणाली गहरी असमानताओं को परिलक्षित करती है, जहाँ मानव पूंजी में निवेश अभिजात वर्ग के पक्ष में झुका हुआ है। इसके कारण बड़े पैमाने पर उद्यमशीलत उद्यमों का अभाव है जो चीन से उलट स्थिति है।
  - स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की भिन्न गुणवत्ता असमान श्रम बाज़ार परिणामों में योगदान करती है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों के पहली पीढ़ी के स्नातकों को प्रभावित करती है।
- **औद्योगीकरण में सांस्कृतिक कारक:** औद्योगीकरण के लिये एक प्रमुख सांस्कृतिक शर्त है जन शिक्षा, जिसका भारत में अभाव है। जोएल मोकिर (Joel Mokyr) का मानना है कि तकनीकी प्रगति एवं विकास के लिये उपयोगी ज्ञान का उदय महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत में विनिर्माण के लिये आवश्यक कुछ व्यवसायों का सांस्कृतिक अवमूल्यन, साथ ही व्यावसायिक कौशल का अवमूल्यन, जैविक नवाचार और औद्योगिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
- **रोज़गार सृजन में चुनौतियाँ:** भारत का श्रम बाज़ार निम्न वेतन वाली और अनौपचारिक नौकरियों से चिह्नित होता है। अधिकांश MSMEs असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें रोज़गार सृजन के लिये लचीलेपन का अभाव है। चीन का अनुभव रोज़गार सृजन के लिये विनिर्माण क्षेत्र में 'स्केल' या पैमाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - भारत के 63 मिलियन MSMEs में से 99% से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं जिनमें उत्पादक रोज़गार सृजन के लिये बहुत कम लचीलापन है। उनका निर्वाह अस्तित्त्व नौकरियों या पैमाने के लिये कोई नुस्खा नहीं है। चीन का उदाहरण अधिक से अधिक नौकरियों के लिये विनिर्माण में पैमाने के प्रभाव का सुझाव देता है।
    - नियमित एवं व्यापक डेटा के अभाव में मेक-इन-इंडिया (MII) के प्रभाव का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। जबकि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) उच्च-स्तरीय विनिर्माण को लाभ पहुँचाती है, पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र आम लोगों के मध्य रोज़गार सृजन के लिये महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
- **संरक्षणवाद की चिंताएँ और अतीत के अनुभव:** 1970 और 1980 के दशक में संरक्षणवाद के पिछले अनुभवों ने कमी और रेंट-सीकिंग (rent-seeking) व्यवहार का रास्ता खोला, जिससे उपभोक्ताओं की तुलना में उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ऐसी आशंकाएँ हैं कि MII के तहत संरक्षणवादी उपायों के सदृश परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
  - वर्ष 2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy- NMP) ने विनिर्माण क्षेत्र में अवसंरचना, विनियमन एवं जनशक्ति में व्याप्त बाधाओं को उजागर किया। MII का लक्ष्य NMP के उद्देश्यों के आधार पर विनिर्माण के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन नौकरियाँ पैदा करना है, लेकिन स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।

भारत में गहन औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये सुझाव:

- **गहन औद्योगीकरण के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण:** भारत को अपने समाज को मौलिक रूप से बदलने के लिये गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता है, न कि केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की। इसमें व्यावसायिक कौशल और कारीगर ज्ञान के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ श्रम, उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी का पुनर्मूल्यांकन करना शामिल होगा।
  - गहन औद्योगीकरण न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि जाति और वर्ग में निहित सामाजिक विभाजन को भी संबोधित करेगा।
- **नई औद्योगिक नीति (NIP '23) की भूमिका:** NIP का मसौदा (जो फिलहाल रोक कर रखा गया है) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को पूरकता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, दक्षता बढ़ाना और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है (विशेष रूप से खिलौने, परिधान एवं जूते जैसे क्षेत्रों में)।
  - इसे संबंधित राज्य सरकारों की स्थानीय आधारित आकांक्षाओं और विनिर्माण विशेषज्ञता का अनुसरण करते हुए शामिल एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिये।
- **समावेशी रोज़गार सृजन के लिये औद्योगिक नीति:** भारत जैसे श्रम-प्रचुर देश में, औद्योगिक नीति को आम लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के लिये रोज़गार सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिये। उत्पादक रोज़गार सृजित करने और 'स्केल' हासिल करने के लिये श्रम-गहन विनिर्माण महत्त्वपूर्ण है।
- **नीति निर्माण में डेटा का महत्त्व:** आर्थिक नीति निर्माण के लिये डेटा व्याख्या और नैतिक दिशा-निर्देश दोनों की आवश्यकता होती है। PLI के प्रभाव पर उच्च-आवृत्ति डेटा के अभाव में नीति निर्माताओं को औद्योगिक नीति को प्रभावी ढंग से आकार देने के लिये व्यापक सिद्धांतों पर भरोसा करना चाहिये।
- **आर्थिक विकास में IR 4.0 को एकीकृत करना:** इसकी विशेषता यह है कि डिजिटल, भौतिक एवं जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को धुँधला करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और यह डेटा द्वारा संचालित होता है।
  - प्रमुख तकनीकों में क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, स्वायत्त रोबोट, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) शामिल हैं।
- **आर्थिक विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना:** कुछ अर्थशास्त्री विनिर्माण-आधारित विकास से उच्च-कौशल, सेवा-संचालित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं।
  - इसके साथ ही, इस दृष्टिकोण को वर्तमान औद्योगिक नीतियों के साथ तालमेल में होना चाहिये ताकि इसकी प्रभावशीलता का प्रभावी ढंग से दोहन किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत में गहन औद्योगीकरण से स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोज़गार के अवसर सृजित करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने तथा अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता है। हालाँकि पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिये सावधानीपूर्वक योजना, नीति समर्थन एवं बुनियादी ढाँचे तथा मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता है।

Q23. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या के समाधान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की प्रभावशीलता को बताते हुए भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए इसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को कम करने में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये।
- भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिये IBC के निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के मुद्दे को हल करने के लिये वर्ष 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को लाया गया था। इसका उद्देश्य दिवालिया कंपनियों की ऋण समाधान प्रक्रिया में तेज़ी लाना तथा ऋणों की वसूली में सुधार करना है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs) बैंकों से इन परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के साथ बकाया वसूलने का प्रयास करके NPAs के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य भाग:

NPA को हल करने में IBC की प्रभावशीलता:

- **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान:** IBC ने समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करके तनावग्रस्त संपत्तियों के लिये समाधान प्रक्रिया को तेज़

कर दिया है। सितंबर, 2022 तक समाधान योजनाओं के तहत 2.43 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है।

- **रिकवरी रेट में वृद्धि:** IBC के तहत रिकवरी रेट अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक रही हैं। IBC के तहत हल किये गए मामलों की रिकवरी दर लगभग 42% थी, जो पहले की रिकवरी दरों की तुलना में काफी अधिक है।
  - हालाँकि IBC के तहत रिकवरी दरें मार्च 2019 और सितंबर 2023 के बीच 43% से गिरकर 32% हो गई हैं।
- **बेहतर क्रेडिट संस्कृति:** IBC ने उधारकर्त्ताओं और ऋणदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करके देश में क्रेडिट संस्कृति को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया है। अपनी कंपनियों पर नियंत्रण खोने के भय से डिफॉल्टर कर्ज़दार बकाया चुकाने के लिये अधिक प्रेरित हुए हैं।
- **NPAs में कमी:** IBC ने बैंकिंग प्रणाली में NPA को कम करने में योगदान दिया है। सकल NPA मार्च 2018 के 8.96 लाख करोड़ रुपए से कम होकर दिसंबर 2020 में 5.77 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
- **बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स का समाधान:** IBC भूषण स्टील, एस्सार स्टील और जेपी इंफ्राटेक जैसे बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स का समाधान करने में प्रभावी रहा है। इससे बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को कर्ज़ की राशि वसूलने में काफी मदद मिली है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिये निहितार्थ:

- **व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि:** IBC ने ARCs के लिये व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि की है क्योंकि बैंक इन कंपनियों को अपने NPA बेचने के लिये अधिक इच्छुक दिखती हैं। इससे ARCs को पुनर्निर्माण हेतु बड़ी संख्या में संपत्ति हासिल करने में मदद मिली है।
- **समाधान में चुनौतियाँ:** ARCs को मुकदमेबाज़ी, खरीदारों की कमी और समाधान प्रक्रिया में देरी जैसे विभिन्न कारणों से IBC के तहत अर्जित संपत्तियों को हल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे बकाया वसूलने और मुनाफा कमाने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- **पूंजी की आवश्यकता:** IBC के तहत ARCs के लिये न्यूनतम ₹300 करोड़ का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड होना आवश्यक है, जो छोटे ARCs के लिये एक चुनौती हो सकता है। यह आवश्यकता ARCs क्षेत्र में नए भागीदारों के प्रवेश को सीमित करती है।
- **नवप्रवर्तन की आवश्यकता:** ARCs को अपनी पुनर्प्राप्ति दर और लाभप्रदता में सुधार के लिये परिसंपत्ति समाधान हेतु नवप्रवर्तन एवं नई रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण, सह-उधार और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी जैसे विकल्प तलाशना भी शामिल हैं।
- **नियामक वातावरण:** ARCs के लिये नियामक वातावरण विकसित हो रहा है, इसके साथ ही कर लाभ एवं नियामक पूंजी आवश्यकताओं जैसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है। यह अनिश्चितता ARCs के विकास और संचालन को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष:

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, ऋण समाधान प्रक्रिया में तेज़ी लाकर तथा वसूली दरों में सुधार करके भारत में NPAs को हल करने में प्रभावी रही है। हालाँकि ARC से संबंधित चुनौतियाँ और निहितार्थ बने हुए हैं। NPAs का समाधान करने तथा बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत करने में IBC की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

Q24. भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधारों को लागू करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए हुए वाणिज्यिक बैंकों एवं अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों को लागू करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- वाणिज्यिक बैंकों एवं अर्थव्यवस्था पर RBI के प्रभाव पर प्रकाश डालें।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 1935 में स्थापित, RBI देश का केंद्रीय बैंक है, जो वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन तथा पर्यवेक्षण हेतु ज़िम्मेदार है।

मुख्य भाग:

भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका:

- **बैंक लाइसेंसिंग:** RBI द्वारा बैंकों को लाइसेंस जारी करने तथा नए बैंकों के प्रवेश को विनियमित करने के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) एवं लघु वित्त बैंकों हेतु निर्धारित नियमों का अनुपालन हो।

- **मानदंड स्थापित करना:** RBI बैंकों के लिये विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करता है, जिसमें वित्तीय स्वास्थ्य एवं पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना शामिल है।
  - बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी भंडार सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत पूंजी पर्याप्तता मानदंड (बेसल समझौते) की शुरूआत करना।
  - तनावग्रस्त बैंकों की शीघ्र पहचान के साथ इनकी राहत हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचे का कार्यान्वयन करना।
- **निगरानी:** RBI, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय कदाचार को रोकने के लिये नियमित निरीक्षण, ऑडिट एवं रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से बैंकों की निगरानी करता है।
- **डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना:** हाल के वर्षों में RBI ने दक्षता बढ़ाने के लिये बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट जैसी पहल ने कैशलेस लेन-देन तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है।

वाणिज्यिक बैंकों पर प्रभाव:

- **दक्षता में वृद्धि:** RBI द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से प्रौद्योगिकी अपनाने, प्रक्रिया में सुधार लाने तथा बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की दक्षता में वृद्धि हुई है।
- **वित्तीय समावेशन:** RBI ने बैंकों को अपनी सेवाओं को वंचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिये प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार हुआ है।
- **वित्तीय समावेशन पहल:** प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी RBI की पहल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक खातों की संख्या एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- **बेहतर प्रशासन:** RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों को अनिवार्य करने से उनके संचालन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित हुई है।
- **बैंकों का विलय:** RBI ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता, प्रशासन एवं वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिये उनके विलय की सुविधा प्रदान की है।
  - उदाहरण के लिये, RBI ने वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कराया।
- **तनाव संतुलन:** RBI आर्थिक असंतुलन के प्रति अनुकूलन का आकलन करने के लिये बैंकों का तनाव परीक्षण करता है, जिससे बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मज़बूत करने में मदद मिलती है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- **वित्तीय स्थिरता:** RBI की नियामक और पर्यवेक्षी भूमिका ने बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है।
- **मौद्रिक नीति:** RBI मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों को बेहतर बनाने, अर्थव्यवस्था में उधार दरों तथा तरलता को प्रभावित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहन देता है।
- **ऋण उपलब्धता:** सुधारों से ऋण उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को लाभ हुआ है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
- **बैंक पुनर्पूंजीकरण:** RBI ने बैंकों के पूंजी आधार को मज़बूत करने तथा उनके अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिये बैंक पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम शुरू किये।
- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में कमी:** RBI के सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र में NPA को कम करने के साथ बैंकों एवं अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद की है।
  - SCBs का GNPA अनुपात मार्च 2023 के अंत में गिरकर 3.9% के साथ ही यह दशक के निचले स्तर पर रहा और सितंबर 2023 के अंत में 3.2% हो गया।

निष्कर्ष:

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका वाणिज्यिक बैंकों तथा अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों के माध्यम से, RBI ने बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता, स्थिरता एवं समावेशिता को बढ़ाया है, जिससे समग्र आर्थिक संवृद्धि एवं विकास में योगदान मिला है।

Q25. किसी देश की आर्थिक स्थिति तथा नीति निर्माण के लिये इसके निहितार्थ का आकलन करने में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) के अधिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत GNP और GDP के परिचय के साथ कीजिये।
- किसी देश के आर्थिक हित का आकलन करने में GDP से अधिक GNP के महत्त्व का वर्णन कीजिये।
- नीति निर्माण के लिये इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, भले ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने वालों की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) सभी वस्तुओं के कुल मूल्य को मापता है। जिसमें वे सभी, जो किसी देश के निवासियों द्वारा एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर उत्पादित सेवाएँ, चाहे वे घरेलू या विदेश में स्थित हों, आते हैं।

मुख्य भाग:

GDP पर GNP का महत्त्व:

- **प्रेषण का समावेश:**
  - GNP विदेश में काम करने वाले नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रेषण के लिये खाता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रवासी आबादी वाले देशों के लिये, प्रेषण राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत और फिलिपींस जैसे देशों में प्रेषण घरेलू आय बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस प्रकार समग्र आर्थिक कल्याण में योगदान देता है।
- **विदेशी निवेश आय:**
  - GNP में विदेशों में निवासियों द्वारा किये गए निवेश से होने वाली आय शामिल है। ये कमाई किसी देश की आय का एक महत्त्वपूर्ण घटक दर्शाती है।
  - उदाहरण के लिये बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों वाले देश प्राय: महत्त्वपूर्ण विदेशी निवेश आय से लाभान्वित होते हैं, जो उनके GNP में योगदान करते हैं।
- **राष्ट्रीय आय परिप्रेक्ष्य:**
  - GNP किसी देश की समग्र आय का अधिक सटीक प्रतिबिंब प्रदान करता है क्योंकि यह उसके नागरिकों द्वारा घरेलू और विदेश दोनों तरह से अर्जित आय पर विचार करता है।
  - देश के निवासियों के वास्तविक आर्थिक हित को समझने के लिये नीति निर्माताओं हेतु यह परिप्रेक्ष्य महत्त्वपूर्ण है।
- **तुलनात्मक विश्लेषण:**
  - GNP आर्थिक प्रदर्शन की बेहतर अंतर्राष्ट्रीय तुलना की अनुमति देता है क्योंकि इसमें नागरिकों की आय शामिल होती है, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो।
  - यह बड़ी प्रवासी आबादी वाले देशों के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र सकल घरेलू उत्पाद उनके आर्थिक योगदान को पूर्ण रूप से शामिल नहीं कर सकता है।

नीति निर्माण के निहितार्थ:

- **प्रेषण उपयोग:**
  - सरकारें बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और उद्यमिता में निवेश जैसे विकास उद्देश्यों के लिये प्रेषण के प्रभावी उपयोग की सुविधा हेतु नीतियाँ निर्माण कर सकती हैं।
  - बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रेषण को उत्पादक क्षेत्रों में लगाने के लिये कार्यक्रम लागू किये हैं।
- **बाह्य निवेश को प्रोत्साहित करना:**
  - निवासियों द्वारा बाह्य निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि और देश की GNP को बढ़ाने में योगदान कर सकती हैं।
  - सरकारें घरेलू कंपनियों को विदेश में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु टैक्स छूट या सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, जिससे देश की आर्थिक नीतियों का विस्तार हो सके।
- **व्यापार घाटे को संतुलित करना:**
  - GNP पर ध्यान व्यापार घाटे की आपूर्ति हेतु विदेश से आय अर्जित करने के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। नीति निर्माता निर्यात को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये रणनीतियों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
  - यह भुगतान के सकारात्मक संतुलन को सुनिश्चित करने और GNP में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को भी बढ़ाता है।

- **आय स्रोतों का विविधीकरण:**
  - GNP के महत्त्व को पहचानना घरेलू उत्पादन से परे आय स्रोतों में विविधता लाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - सरकारें विदेशी आय बढ़ाने और राजस्व के किसी एक स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिये पर्यटन, आउटसोर्सिंग सेवाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये नीतियाँ अपना सकती हैं।

निष्कर्ष:

जबकि GDP और GNP दोनों आर्थिक प्रदर्शन के आवश्यक संकेतक हैं, GNP में विदेश में अर्जित आय को शामिल करने से देश के आर्थिक हित की अधिक व्यापक समझ मिलती है। GNP विचारों द्वारा निर्देशित नीति निर्माण से ऐसी रणनीतियाँ बन सकती हैं, जो समग्र समृद्धि और सतत् विकास को बढ़ाने के लिये प्रेषण, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाती हैं।

Q26. गरीबी, बेरोज़गारी तथा समावेशी विकास के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण करते हुए इन चुनौतियों से निपटने हेतु नीतिगत उपायों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत गरीबी, बेरोजगारी और समावेशी विकास के साथ कीजिये।
- गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी विकास के बीच संबंध का वर्णन कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिये नीतिगत उपायों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

गरीबी एक बहुआयामी घटना है, जिसमें न केवल आय की कमी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी शामिल है, जबकि बेरोज़गारी उस स्थिति को संदर्भित करती है, जहाँ काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को उपयुक्त रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते हैं।

मुख्य भाग:

गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी विकास के बीच अंतर्संबंध:

- **गरीबी और बेरोज़गारी का संबंध:**
  - बेरोज़गारी का उच्च स्तर व्यक्तियों की आय-सृजन के अवसरों तक पहुँच को सीमित करके गरीबी में योगदान देता है।
  - इसके विपरीत, गरीबी शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच को प्रतिबंधित करके गरीबी के चक्र को बढ़ाकर बेरोज़गारी को कायम रख सकती है।

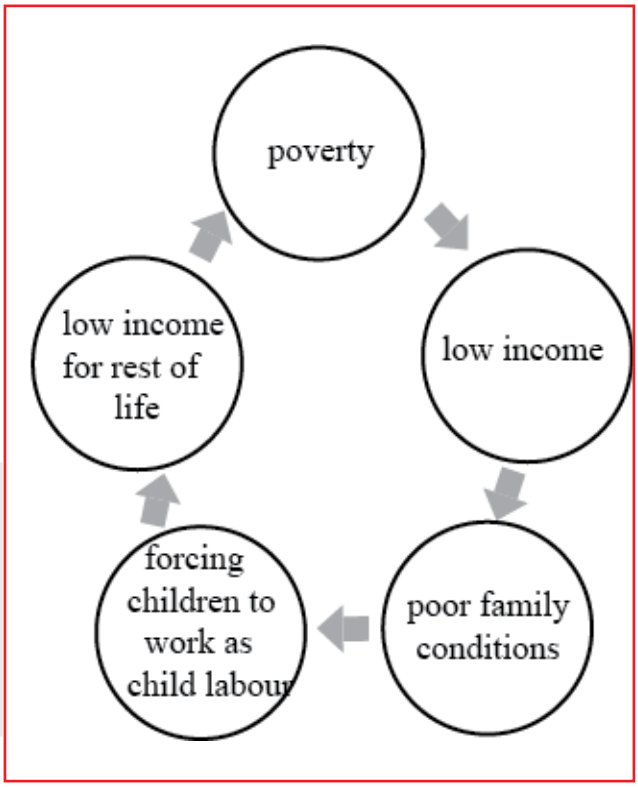

- **समाधान के रूप में समावेशी विकास:**
  - समावेशी विकास गरीबी उन्मूलन और बेरोज़गारी उन्मूलन के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
  - रोज़गार के अवसर उत्पन्न करके, विशेष रूप से कृषि, विनिर्माण और सेवाओं जैसे उच्च श्रम तीव्रता वाले क्षेत्रों में समावेशी विकास व्यक्तियों को गरीबी के जाल से बचने में सक्षम बनाता है।
- **सामाजिक बहिष्कार और बेरोजगारी:**
  - जाति, लिंग और जातीयता जैसे कारकों के परिणामस्वरूप होने वाला सामाजिक बहिष्कार, हाशिये पर रहने वाले समूहों के बीच बेरोज़गारी को बढ़ाता है।
  - समावेशी विकास नीतियों को सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने, शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने और श्रम बाज़ार में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करके इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

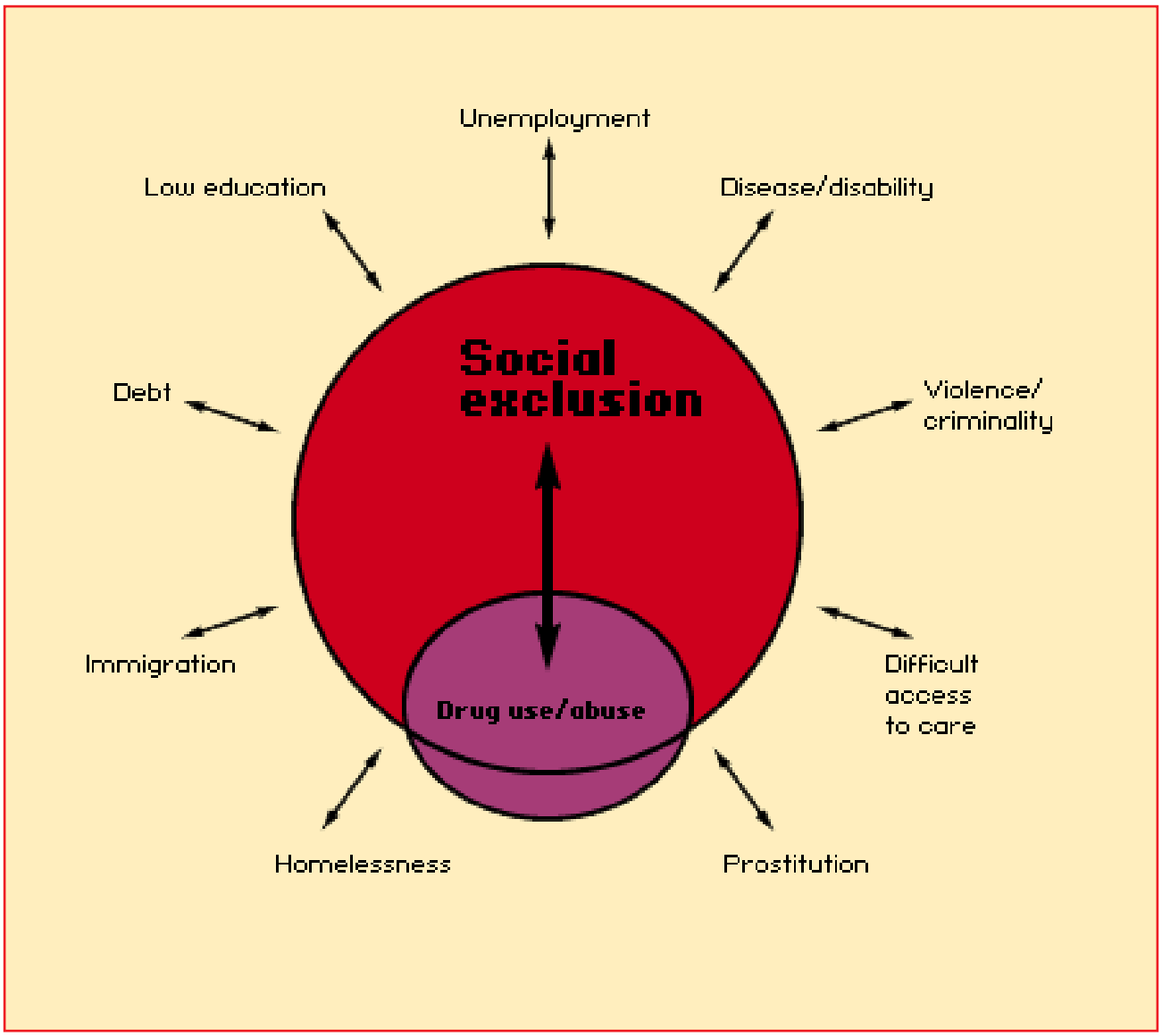

गरीबी, बेरोज़गारी को संबोधित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ:

- **समाज कल्याण कार्यक्रम:**
  - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** गरीबी और बेरोज़गारी को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान करता है।
  - **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** गरीबी कम करने के लिये बुज़ुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - **दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):** विविध और लाभकारी स्व-रोज़गार एवं मजदूरी रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है।
  - **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** इसने सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, स्थायी आजीविका बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी को कम करने की सुविधा प्रदान की है।
- **कौशल विकास पहल:**
  - **कौशल भारत मिशन:** वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करने, रोज़गार क्षमता बढ़ाने और बेरोज़गारी कम करने का लक्ष्य है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** देश भर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे रोज़गार के बेहतर अवसर मिलते हैं।
  - **केरल की कुदुम्बश्री पहल** ने कौशल विकास एवं सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे राज्य में गरीबी और बेरोज़गारी दर में काफी कमी आई है।

- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:**
  - **वित्तीय समावेशन:** जन धन योजना जैसी पहल का उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने, उन्हें बचत करने, निवेश करने और ऋण तक पहुँचने में सक्षम बनाना है।
  - **बुनियादी ढाँचा विकास:** ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार से नौकरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे गरीबों को लाभ होगा।

- **श्रम सुधार:**
  - **मज़दूरी पर श्रम संहिता, 2019:** न्यूनतम मज़दूरी और मज़दूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करता है तथा गरीबी को कम करता है।
  - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:** इसका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है, जिससे संभावित रूप से रोज़गार सृजन में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी विकास आपस में जुड़ी हुई चुनौतियाँ हैं, जिनके प्रभावी शमन के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, वित्तीय समावेशन एवं बुनियादी ढाँचे के विकास को लक्षित करने वाले नीतिगत उपाय महत्त्वपूर्ण हैं।

Q27. विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और बहुपक्षीय व्यापार में अपने हितों की रक्षा के लिए इसकी रणनीतियों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- WTO वार्ता में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- बहुपक्षीय व्यापार में अपने हितों की रक्षा के क्रम में भारत की रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

विश्व व्यापार संगठन (WTO) राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1 जनवरी, 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। WTO का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारु, पूर्वानुमानित एवं स्वतंत्र रूप से हो।

मुख्य भाग:

भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

- **कृषि सब्सिडी:**
  - भारत को अपनी विशाल कृषि आबादी के कारण कृषि सब्सिडी को संतुलित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - भारत में किसानों को पर्याप्त सब्सिडी दी जाती है, जिससे WTO नियमों (खासकर कृषि समझौते) के साथ टकराव होता है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)**
  - TRIPS समझौते से भारत के समक्ष चुनौतियाँ (खासकर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में) आई हैं।
  - भारत में सस्ती दवाओं का उत्पादन करने वाला काफी बड़ा जेनेरिक फार्मास्युटिकल उद्योग है, जिसकी लोक स्वास्थ्य में काफी भूमिका है।
  - हालाँकि मज़बूत पेटेंट नियम जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने की भारत की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं, जिससे किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच प्रभावित हो सकती है।

- **सेवा क्षेत्र:**
  - भारत को अपने सेवा क्षेत्र (खासकर IT, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में) को बढ़ावा देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) वार्ता में नियामक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिये बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उचित संतुलन की आवश्यकता होती है।
- **अधिकारों में विषमता:**
  - WTO सदस्यों (विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के संदर्भ में) के बीच शक्ति विषमता के कारण भारत को नुकसान होता है।
  - यह शक्ति असंतुलन भारत के लिये अपने एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- **गैर टैरिफ बाधाएँ:**
  - विकसित देशों की गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों एवं व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT) के कारण भारतीय निर्यात में बाधा आती है।
  - इन मानकों के अनुपालन के लिये पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होता है।
- **विवाद निपटान:**
  - भारत को WTO के विवाद निपटान तंत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर उन मामलों में जहाँ इसकी घरेलू नीतियों को चुनौती मिली है।
  - निष्पक्ष और पारदर्शी विवाद समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करना भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत के हितों की रक्षा हेतु रणनीतियाँ:

- **गठबंधन:**
  - भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के साथ गठबंधन की रणनीति अपनाई है, विशेष रूप से जी-33 (कृषि के लिये) और जी-20 (व्यापार वार्ता के लिये) जैसे समूहों के माध्यम से।
  - भारत WTO में अपनी बातचीत की शक्ति को बढ़ाने के लिये ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एवं चीन जैसे समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के साथ गठबंधन निर्माण की रणनीति अपनाता है।
- **नीतिगत वकालत:**
  - भारत विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने के लिये WTO के भीतर सुधारों की वकालत करता है।
  - इससे भारत जैसे देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिये विशेष एवं विभेदक उपचार (S&D) प्रावधानों की आवश्यकता को बल मिलता है
  - भारत ने दोहा विकास एजेंडा (DDA) वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ विकासोन्मुख परिणाम की वकालत की है जो विकासशील देशों की चिंताओं के समाधान पर केंद्रित है।
- **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौते:**
  - भारत ने अपने व्यापार में विविधता लाने तथा पारंपरिक बाज़ारों पर निर्भरता कम करने के लिये द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौते किये हैं।
  - द्विपक्षीय FTA पर हस्ताक्षर करने से भारत को नए बाज़ारों तक पहुँच प्राप्त हुई है।
- **घरेलू सुधारों पर ध्यान देना:**
  - भारत ने अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने तथा सब्सिडी पर निर्भरता कम करने के लिये घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसी पहल का उद्देश्य कराधान को सुव्यवस्थित करना तथा कारोबारी माहौल में सुधार करना है।
- **सेवाओं एवं गैर-कृषि बाजार पहुँच (NAMA) पर बल देना:**
  - कृषि वार्ता से संबंधित सीमाओं को पहचानते हुए, भारत ने सेवाओं और NAMA क्षेत्रों में अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने हेतु ध्यान केंद्रित किया है।
  - यह विविधीकरण भारत को IT सेवाओं एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अपनी शक्ति का लाभ उठाने की अनुमति देता है
- **विवाद निपटान तंत्र का उपयोग:**
  - भारत अन्य सदस्य देशों की अनुचित व्यापार प्रथाओं और भेदभावपूर्ण उपायों को चुनौती देने के लिये WTO के विवाद निपटान तंत्र का उपयोग करता है।
  - विधिक सहारा लेकर भारत, निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना चाहता है।
  - भारत WTO में अमेरिका के साथ कई व्यापार विवादों में उलझा हुआ है, जिसमें विशेष रूप से कृषि सब्सिडी, भारतीय IT पेशेवरों को प्रभावित करने वाले H-1B वीज़ा नियमों एवं सौर पैनल टैरिफ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

निष्कर्ष:

बहुपक्षीय व्यापार में अपने हितों की रक्षा के लिये WTO वार्ता में भारत की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। रणनीतिक गठबंधनों, नीतिगत वकालत एवं घरेलू सुधारों के माध्यम से संबंधित चुनौतियों का समाधान करके,

भारत का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी व्यापार नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का अनुपालन करते हुए उसके विकास उद्देश्यों के लिये अनुकूल हों।

Q28. लोक ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिये। प्रभावी ऋण प्रबंधन व्यापक आर्थिक स्थिरता में किस प्रकार योगदान देता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- लोक ऋण प्रबंधन को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में लोक ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि प्रभावी ऋण प्रबंधन व्यापक आर्थिक स्थिरता में कितना योगदान देता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक ऋण प्रबंधन, आर्थिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसमें सरकारी ऋण जारी करना, विनियमन और वसूली शामिल है। लोक ऋण प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों का विवेकपूर्वक प्रबंधन एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखते हुए सरकार की वित्तपोषण आवश्यकताओं को मध्यम से लंबी अवधि में सबसे कम लागत पर पूरा किया जाए।

मुख्य भाग:

लोक ऋण प्रबंधन के उद्देश्य:

1. सरकारी व्यय का वित्तपोषण:
- लोक ऋण प्रबंधन का उद्देश्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक खर्चों सहित सरकारी व्यय के लिये वित्तपोषण का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है।

2. राजकोषीय घाटे का प्रबंधन:
- इसका एक अन्य उद्देश्य रणनीतिक उधारी प्रक्रिया को अपनाते हुए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लंबी अवधि में सरकारी खर्च राजस्व सृजन से अधिक न हो।
- यूरोप का संप्रभु ऋण संकट, खराब ऋण प्रबंधन के परिणामों के बारे में सतर्क करता है।
- ग्रीस, पुर्तगाल और इटली जैसे देशों को अस्थिर ऋण स्तरों के कारण गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक संकुचन, वित्तीय अस्थिरता के साथ इन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता हुई।

3. उधार लेने की लागत कम करना:
- कुशल ऋण प्रबंधन के माध्यम से अनुकूल ब्याज दरों एवं शर्तों पर सरकार को धन प्रदान करके उधार लेने की लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें ऋण के स्रोतों में विविधता लाना तथा ऋण परिपक्वता प्रोफाइल को अनुकूलित करना शामिल है।

4. ऋण स्थिरता बनाए रखना:
- लोक ऋण प्रबंधन का उद्देश्य सरकारी ऋण स्तरों की स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे अत्यधिक ऋण लेने के कारण होने वाले ऋण संकट या राजकोषीय अस्थिरता को रोका जा सके।
- जापान का अनुभव प्रभावी ऋण प्रबंधन के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर होने के बावजूद, जापान ने विवेकपूर्ण उधार प्रथाओं, कम ब्याज दरों एवं एक मज़बूत घरेलू निवेशक आधार के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखी है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान:

1. ब्याज दर की स्थिरता:
- प्रभावी ऋण प्रबंधन ब्याज दरों को स्थिर करने में मदद करके व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। ऋण की मात्रा, परिपक्वता एवं संरचना का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करके, लो प्राअधिकारी ब्याज दर की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वित्तीय बाज़ारों की अस्थिरता में कमी आ सकती है।

2. राजकोषीय अनुशासन:
- रणनीतिक ऋण प्रबंधन, सरकारों को स्थायी ऋण प्रथाओं का पालन करने के लिये प्रोत्साहित करके राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।
- इससे अत्यधिक ऋण संचय को रोकने में मदद मिलती है, जो निवेशकों के विश्वास को कमज़ोर करने के साथ व्यापक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA),2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने एवं लोक ऋण को कम करने के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा निवेशकों के विश्वास को मज़बूत बनाना था।

3. विनिमय दर में स्थिरता:
- विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, अस्थिर ऋण स्तरों के बारे में चिंताओं के कारण होने वाले मुद्रा मूल्यह्रास के जोखिम को कम करके विनिमय दर स्थिरता में योगदान देता है।
- स्थिर विनिमय दरें निवेशकों एवं व्यवसायों को निश्चितता प्रदान करके आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करती हैं।

- देश की विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं के कारण अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिभूतियों को व्यापक रूप से सुरक्षित-संपत्ति के रूप में माना जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च ऋण होने के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ऋण प्रबंधन रणनीतियों से स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों के क्रम में लाभ प्राप्त होता है।

4. निवेशकों का विश्वास:

- प्रभावी ऋण प्रबंधन से सरकारी बॉण्डों और प्रतिभूतियों में निवेशकों का विश्वास बढ़ने से घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित होता है।
- पूंजी के इस प्रवाह से आर्थिक विकास को समर्थन मिलने के साथ वित्तीय संकट की संभावना में कमी आती है, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

5. बजटीय अनुकूलन:

- ऋण स्तर और पुनर्भुगतान कार्यक्रम को अनुकूलित करके, लोक ऋण प्रबंधन से बजटीय अनुकूलन को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकारों को अत्यधिक ऋण का सहारा लिये बिना आर्थिक असंतुलन एवं अप्रत्याशित व्यय के खिलाफ प्रतिक्रिया देने में सहायता मिलती है।

6. आर्थिक संवृद्धि:

- सतत् ऋण प्रबंधन नीतियाँ, स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाती हैं।
- अत्यधिक ऋण बोझ से बचकर, सरकारें दीर्घकालिक समृद्धि एवं स्थिरता को बढ़ावा देते हुए, संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

लोक ऋण प्रबंधन राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करके, वित्तीय बाज़ारों को स्थिर कर तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देकर व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवेकपूर्ण उधार प्रथाओं एवं रणनीतिक ऋण प्रबंधन के माध्यम से सरकारें ऋण संबंधी जोखिमों को कम करने एवं विकास को बढ़ावा देने के साथ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं।

Q29. भारत में कृषि उत्पादकता, आय वितरण तथा खाद्य सुरक्षा पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव की चर्चा कीजिये। इसकी बेहतर प्रभावशीलता हेतु सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- कृषि सब्सिडी के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में कृषि उत्पादकता, आय वितरण तथा खाद्य सुरक्षा पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव की चर्चा कीजिये।
- कृषि सब्सिडी की बेहतर प्रभावशीलता हेतु सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कृषि सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन है जिसे सरकार द्वारा किसानों एवं कृषि उत्पादकों को कृषि कार्यों का समर्थन करने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि बाज़ारों को स्थिर करने हेतु प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी विभिन्न रूपों में हो सकती है, जिसमें प्रत्यक्ष भुगतान, मूल्य समर्थन, सब्सिडी वाले ऋण, फसल बीमा तथा कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु अनुदान देना शामिल हैं।

मुख्य भाग:

कृषि उत्पादकता पर प्रभाव:

- कृषि सब्सिडी द्वारा किसानों को बीज, उर्वरक तथा मशीनरी जैसे इनपुट हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।
- यह किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिये, ड्रिप सिंचाई प्रणालियों हेतु सब्सिडी से जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिली है।
  - इसके अलावा, कृषि मशीनरी एवं उपकरणों पर सब्सिडी से मशीनीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ शारीरिक श्रम पर निर्भरता में कमी आई है जिससे कृषि कार्यों में दक्षता को बढ़ावा मिला है।

आय वितरण पर प्रभाव:

- कृषि सब्सिडी का लक्ष्य छोटे तथा सीमांत किसानों को समर्थन देना है जिससे आय असंतुलन को कम किया जा सके। बड़े किसानों की संसाधनों तथा बुनियादी ढाँचे तक अधिक पहुँच होने के कारण उन्हें सब्सिडी से अधिक लाभ होता है।
  - इससे कृषि क्षेत्र में आय असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास सब्सिडी का लाभ उठाने की समान क्षमता नहीं होती है।

- उदाहरण के लिये, शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6% किसान ही MSP योजना से लाभान्वित होते हैं।

- इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी के वितरण से भी आय वितरण में असमानताओं को बढ़ावा मिलता है।
- बेहतर बुनियादी ढाँचे तथा बाज़ार पहुँच वाले संपन्न क्षेत्रों को सब्सिडी से अधिक लाभ मिलता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय का अंतर बढ़ जाता है।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:

- कृषि सब्सिडी द्वारा खाद्य कीमतों को स्थिर करने एवं कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।
  - चावल और गेहूँ जैसी आवश्यक फसलों पर सब्सिडी से किसानों को फसलों की कृषि के लिये प्रोत्साहन मिलता है, जिनकी भारतीय आहार में प्रमुख भूमिका है।
- इससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त खाद्य भंडार बनाए रखने (खासकर कमी या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान) में मदद मिलती है।
- इसके अतिरिक्त उर्वरकों एवं अन्य आदानों पर सब्सिडी से किसानों की उत्पादन लागत में कमी आती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये खाद्य कीमतें किफायती बनती हैं।

बेहतर प्रभावशीलता हेतु सुधार:

- **लक्षित सब्सिडी:**
  - उन सीमांत किसानों के लिये अधिक प्रभावी ढंग से सब्सिडी का लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिन्हें समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - इसे आधार-आधरित पहचान एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुँचे।
- **सब्सिडी का विविधीकरण:**
  - केवल इनपुट सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, कृषि बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने की दिशा में बदलाव लाना चाहिये।
  - इससे किसानों को सतत् प्रथाओं को अपनाने एवं अपने आय स्रोतों में विविधता लाने के साथ जलवायु परिवर्तन और बाज़ार की अस्थिरता से संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
    - **PM-KISAN:** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कृषि पारिस्थितिकी को बढ़ावा:**
  - कृषि प्रणालियों में पारिस्थितिकी सिद्धांतों के एकीकरण पर बल देने वाले कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इसमें जैविक कृषि, फसल विविधीकरण के साथ संरक्षण कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे न केवल उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता एवं अनुकूलन में भी योगदान मिलेगा।
    - **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** इस योजना के तहत उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के साथ उत्पादकता में सुधार के लिये मृदा परीक्षण हेतु सब्सिडी प्रदान करना शामिल है।
- **बाज़ार सुधार:**
  - बाज़ार के बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा बेहतर मूल्य प्रदान करने से किसानों की सब्सिडी पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा कृषि विपणन संबंधी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से बाज़ारों तक पहुँचने में सक्षम बनाने के साथ बिचौलियों को कम किया जा सकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:**
  - उच्च उपज देने वाली तथा जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिये कृषि अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
  - इससे फसलों की उत्पादकता के साथ जैविक एवं अजैविक रूप से इनके अनुकूलन को बढ़ावा देने के माध्यम से सब्सिडी पर निर्भरता कम हो जाएगी।

निष्कर्ष:

कृषि सब्सिडी द्वारा भारत में कृषि विकास को समर्थन देने के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है लेकिन आय असमानता एवं पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी चुनौतियों का समाधान करने हेतु सुधारों की आवश्यकता है। लक्षित और विविध सब्सिडी योजनाओं को लागू करने, कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा बाज़ार सुधारों के साथ अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके, भारत में समावेशी व सतत् कृषि विकास को बढ़ावा देते हुए कृषि सब्सिडी की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

Q30. भारत में प्रचलित विभिन्न निवेश मॉडलों पर चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं, लाभों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इन मॉडलों को अधिक समावेशी तथा टिकाऊ किस प्रकार बनाया जा सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- निवेश मॉडल के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में प्रचलित विभिन्न निवेश मॉडलों पर चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं, लाभों तथा चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- विश्लेषण कीजिये कि इन मॉडलों को किस प्रकार अधिक समावेशी एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के लिये निवेश महत्त्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न निवेश मॉडल प्रचलित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएँ, लाभ और चुनौतियाँ हैं। ये मॉडल अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य भाग:

निवेश मॉडल के प्रकार:

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):**
  - **विशेषताएँ:** इसमें एक विदेशी इकाई द्वारा व्यवसाय स्थापित करना या किसी मौजूदा भारतीय उद्यम में पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना शामिल है।
  - **लाभ:** इससे पूंजी के प्रवाह एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ रोज़गार का सृजन होता है।
  - **चुनौतियाँ:** निर्भरता के साथ देश की संप्रभुता और सांस्कृतिक पहलुओं का नुकसान हो सकता है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2018 में वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):**
  - **विशेषताएँ:** बुनियादी ढाँचे के विकास और सेवा वितरण हेतु सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
  - **लाभ:** जोखिम साझाकरण एवं कुशल संसाधन आवंटन के साथ समय पर परियोजना पूरी हो पाती है।
  - **चुनौतियाँ:** अनुबंध प्रबंधन में जटिलताओं तथा नियामक बाधाओं के साथ लाभ-साझाकरण को लेकर विवाद होता है।
  - **उदाहरण:** PPP के तहत दिल्ली हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण।
- **उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी:**
  - **विशेषताएँ:** उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टअप या छोटे व्यवसायों में निवेश।
  - **लाभ:** नवाचार, रोज़गार सृजन के साथ विशेषज्ञता तक पहुँच प्राप्त होती है।
  - **चुनौतियाँ:** उच्च जोखिम वाली प्रकृति एवं तत्काल रिटर्न की कमी के साथ सामाजिक क्षेत्रों पर सीमित फोकस।
  - **उदाहरण:** सिकोइया कैपिटल का बायजू में निवेश।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs):**
  - **विशेषताएँ:** यह निवेश प्लेटफार्म, बुनियादी ढाँचे या रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने के लिये निवेशकों से धन एकत्र करते हैं।
  - **लाभ:** तरलता एवं विविधीकरण के साथ आय सृजन को प्रोत्साहन मिलता है।
  - **चुनौतियाँ:** बाज़ार पर निर्भरता, नियामक बाधाएँ और परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिम।
  - **उदाहरण:** सड़क परियोजनाओं में IRB InvIT फंड का निवेश।

निवेश मॉडल को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाना:

- **समावेशिता:**
  - **पूंजी तक पहुँच:** छोटे निवेशकों के लिये प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में निवेश करना चाहिये।
  - **जोखिम न्यूनीकरण:** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिये बीमा योजनाओं के साथ सरकारी गारंटी पर बल देना।
  - **कौशल विकास:** निवेश आकर्षित करने वाले उद्योगों में रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- **वहनीयता**
  - **पर्यावरण प्रभाव आकलन:** यह सुनिश्चित करने के लिये कड़े मानदंड अपनाने चाहिये कि निवेश से पर्यावरण को नुकसान न हो।
  - **सामाजिक प्रभाव आकलन:** स्थानीय समुदायों पर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** टिकाऊ प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रिक वाहन आदि में निवेश को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत के निवेश मॉडल आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के साथ समावेशिता तथा स्थिरता को बढ़ावा देकर, ये मॉडल संवृद्धि तथा विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Q31. भारत में क्षेत्रीय स्तर पर बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। देश में PPPs मॉडल के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सक्षम वातावरण बनाने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण

- भारत में बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की आवश्यकता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने में PPPs की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- PPPs मॉडल से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- भारत PPPs के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय बताइये।
- एक नवोन्मेषी P4 मॉडल के महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये

परिचय:

भारत **सकल घरेलू उत्पाद के 5%** से भी अधिक मूल्य के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के अंतराल का सामना कर रहा है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के क्रम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी इसमें निर्णायक रूप में उभरी है।

मुख्य भाग:

बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने में PPPs की भूमिका:

- **महत्त्वपूर्ण उद्यमों के विकास में तीव्रता आना:** PPPs से **दिल्ली हवाई अड्डे के विस्तार** जैसे महत्त्वपूर्ण उद्यमों में तेज़ी आने के साथ यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बने हुए हैं।
  - इसी तरह के सफल मॉडलों ने देश भर में **राजमार्ग कनेक्टिविटी को बढ़ाया** है, जिसका उदाहरण चेन्नई बाईपास परियोजना है।
- **तकनीकी उन्नति एवं नवाचार:** निजी क्षेत्र की दक्षता से अत्याधुनिक सुविधाएँ मिलती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **मुंबई मेट्रो परियोजना** में न्यूनतम व्यवधानों के साथ इसके त्वरित निर्माण हेतु सुरंग बनाने वाली उन्नत मशीनरी को अपनाया गया।
- **साझा जवाबदेहिता:** PPPs परियोजना से जोखिमों का समान रूप से वितरण होता है। निजी भागीदार निर्माण में होने वाली देरी के साथ बजट का प्रबंधन करते हैं, जबकि सरकार द्वारा नियामक अनिश्चितताओं का समाधान किया जाता है।
  - इस संतुलित दृष्टिकोण से **परिचालन दक्षता एवं परियोजना की गुणवत्ता को प्रोत्साहन** मिलता है।
- **परिचालन दक्षता:** निजी क्षेत्र की परिचालन विशेषज्ञता से सेवा वितरण मानकों को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि **जयपुर-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे** से पता चलता है, इससे यात्रा के समय में काफी कमी आने के साथ समग्र यात्री अनुभव तथा आर्थिक दक्षता में वृद्धि हुई।
- **नवोन्वेषी वित्तपोषण:** PPPs के तहत अग्रणी वित्तपोषण तंत्र की सुविधा मिलती है, जैसे कि **हैदराबाद आउटर रिंग रोड** जैसी परियोजनाओं में नियोजित टोल-आधारित राजस्व मॉडल में देखा गया।
- **सतत् विकास:** भारत में PPPs द्वारा अब बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सतत् प्रथाओं को एकीकृत किया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिये गुजरात सोलर पार्क, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने एवं उसके पर्यावरण प्रबंधन की क्षमता का परिचायक है।

इन लाभों के बावजूद महत्त्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं:

- **परियोजना चयन और व्यवहार्यता:** लाभप्रदता पर अदूरदर्शी (Myopic) फोकस ग्रामीण सड़कों या स्कूलों जैसी सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की उपेक्षा का कारण बन सकता है। इससे क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ सकती हैं और कुछ समुदाय वंचित हो सकते हैं।
- **अनुबंध जटिलता:** जटिल समझौते विवादों का कारण बन सकते हैं, जैसा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की शुरुआती निर्माण में देखा गया था।
- **जोखिम आवंटन:** सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच जोखिमों को निष्पक्ष रूप से साझा करना एक चुनौती है। लागत में कटौती पर अधिक ज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र पर दीर्घकालिक रखरखाव देनदारियों का बोझ डाल सकता है।
- **भ्रष्टाचार के लिये प्रजनन भूमि:** अपारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया और अनुबंध देने में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।

भारत में प्रभावी PPPs कार्यान्वयन के उपाय:

- **मानकीकृत PPPs टूलकिट:** विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकृत अनुबंधों, व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक केंद्रीकृत भंडार विकसित करना।

- यह "PPPs टूलकिट" परियोजना की शुरुआत को सुव्यवस्थित करेगा और लेन-देन की लागत को कम करेगा।

- **जोखिम रेटिंग और बीमा योजनाएँ:** PPPs परियोजनाओं के लिये एक जोखिम रेटिंग ढाँचा विकसित करना, जिससे निजी भागीदारों को अनुकूलित बीमा उत्पादों तक पहुँच प्राप्त हो सके जो विशिष्ट परियोजना जोखिमों को कम करते हैं। इससे अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **PPPs "शार्क टैंक" पिच:** ऑनलाइन "शार्क टैंक" शैली के कार्यक्रम आयोजित करना, जहाँ सरकारी एजेंसियाँ एवं निजी निवेशक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये PPPs सौदों पर बातचीत करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिये एक साथ आते हैं।
  - यह सार्वजनिक हितों को बढ़ा सकता है, नवीन प्रस्तावों को आकर्षित कर सकता है और PPPs परियोजना के चयन के लिये अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धी वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।
- **विश्वविद्यालय-उद्योग PPPs लैब:** बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों के लिये नवीन समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त प्रयोगशालाएँ स्थापित करना।
  - यह शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाट देगा, विशेष रूप से PPPs परियोजनाओं के लिये अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- **PPPs के लिये सामाजिक प्रभाव बॉण्ड:** ग्रामीण विद्युतीकरण या जल उपचार संयंत्रों जैसी सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण PPPs परियोजनाओं की सफलता से जुड़े सामाजिक प्रभाव बॉण्ड जारी करना।
  - निवेशकों को पूर्व-निर्धारित सामाजिक प्रभाव लक्ष्यों को प्राप्त करने, व्यापक सामाजिक लाभ वाली परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के आधार पर रिटर्न प्राप्त होगा।

निष्कर्ष:

PPP का भविष्य और भी अधिक समावेशी मॉडल में निहित हो सकता है: सार्वजनिक, निजी, जन भागीदारी (PPPP) या P4। यह ढाँचा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में नागरिक भागीदारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। नवाचार, पारदर्शिता और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत अपनी बुनियादी ढाँचा क्राँति को बढ़ावा देने तथा सभी के लिये अधिक समृद्ध एवं न्यायसंगत भविष्य का निर्माण करने के लिये PPP व PPP की वास्तविक क्षमता के लिये नए मार्ग प्रदान कर सकता है।

Q32. भारत में कृषि क्षेत्र के रूपांतरण में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस संबंध में किसानों को सशक्त बनाने के क्रम में सरकार द्वारा की गई विभिन्न ई-पहलों पर विस्तार से प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- कृषि क्षेत्र के महत्त्व और ई-प्रौद्योगिकी के दोहन की आवश्यकता का परिचय लिखिये।
- कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- किसानों को सशक्त बनाने के लिये सरकार की ई-पहलों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ऐसे देश में जहाँ कृषि क्षेत्र आधे से अधिक कार्यबल को रोज़गार देता है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15-17% का योगदान देता है, इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को जानने के लिये ई-प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों (ICT) का लाभ उठाकर, सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बाज़ार पहुँच में सुधार और किसानों की आजीविका को समृद्ध करने के उद्देश्य से कई ई-पहलों को संचलित कर रही है।

मुख्य भाग:

कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- **सटीक खेती:** ई-प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग, जीपीएस-आधारित मृदा मानचित्रण और परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी (Variable Rate Technology) जैसी सटीक कृषि तकनीकों को सक्षम बनाती है, जो संसाधन उपयोग को अनुकूलित करती है, अपशिष्ट को कम करती है और उत्पादकता बढ़ाती है।
  - रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि-आईओटी (Ag-IoT) का उपयोग सटीक खेती के साथ जल के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
- **मौसम और जलवायु के वास्तविक समय की जानकारी:** किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, जलवायु डेटा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तक पहुँच सकते हैं, जिससे बेहतर योजना एवं निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

- AccuWeather, MAUSAM (IMD द्वारा विकसित) जैसे ऐप मौसम की सहज और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल पहुँच प्रदान करते हैं। इसके अनुसार उपयोगकर्त्ता मौसम, पूर्वानुमान, रडार छवियों तक पहुँच सकते हैं और आसन्न मौसमी घटनाओं की सक्रियता से सतर्क रह सकते हैं।

- **बाज़ार आसूचना:** ई-प्लेटफॉर्म किसानों को बाज़ार की कीमतों, मांग के रुझान और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने तथा अपनी उपज के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सशक्त बनाया जाता है।
- **कृषि विशेषज्ञता तक पहुँच:** ई-प्रौद्योगिकी ऑनलाइन मंचों, वीडियो ट्यूटोरियल और आभासी सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कृषि ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसानों तथा विशेषज्ञों के बीच अंतर कम होता है।
  - एम किसान, किसान सुविधा आदि जैसे- पोर्टल/ऐप उर्वरक, सब्सिडी, मौसम और बाज़ार कीमतों जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। वे किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में कृषि कार्यों का प्रबंधन करने में भी सहायक हो सकते हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** डिजिटल समाधान कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करते हैं, कुशल ट्रैकिंग, ट्रेसबिलिटी और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को सक्षम करते हैं, अपशिष्ट को कम करते हैं तथा उपज की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।
  - IIT रोपड़ ने एम्बिटैग नामक एक IoT उपकरण विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त, टीकों आदि के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है।
    - एम्बिटैग तापमान डेटा लॉग उपयोगकर्त्ता को सलाह देता है, कि परिवहन की गई वस्तु उपयोग योग्य है या परिवहन के दौरान कोल्ड चेन से समझौता किया गया है।
- **वित्तीय समावेशन:** मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी ई-प्रौद्योगिकियों ने किसानों के लिये वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें ऋण, बीमा और सरकारी सब्सिडी तक आसान पहुँच प्रदान की गई है।
  - क्लिक्स कैपिटल जैसी कुछ एनबीएफसी अपने निजी या अर्द्ध-सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों और कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप को शामिल करके अनुकूलित ऋण उत्पाद पेश करती हैं।

किसानों को सशक्त बनाने के लिये सरकारी ई-पहल:

- **डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** इसका उद्देश्य किसानों के लिये पारदर्शी और कुशल भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण करना है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** यह किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है जिसमें मृदा की पोषक स्थिति और अनुशंसित उर्वरक खुराक शामिल है, जिससे बेहतर मृदा प्रबंधन एवं उत्पादकता संभव हो पाती है।
- **ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM):** एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो किसानों को देश भर के खरीदारों से जोड़ता है, बेहतर मूल्य खोज (Price Discovery) को सक्षम बनाता है और बिचौलियों को कम करता है।
- **किसान सुविधा मोबाइल ऐप:** यह किसानों को मौसम, बाज़ार मूल्य, पौधों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं सहित अन्य जानकारी प्रदान करता है।
- **कृषि-उड़ान:** होनहार नवप्रवर्तकों को संस्थागत निवेशकों से जोड़कर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने की एक पहल।
- **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A):** सूचना प्रसार, इनपुट प्रबंधन और बाज़ार लिंकेज सहित किसानों को शुरू से अंत तक डिजिटलीकृत सेवाएँ प्रदान करना।

निष्कर्ष:

सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिये विभिन्न ई-पहल शुरू की हैं, फिर भी डिजिटल विभाजन को खत्म करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने और कृषि क्षेत्र में ई-प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिकतम करने के लिये अंतिम-मील तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं कृषि-तकनीक स्टार्टअप के साथ सहयोग ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने में और तेज़ी ला सकता है, भारतीय कृषि में परिवर्तन ला सकता है।

Q33. भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर की अस्थिरता के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनिमय दरों को प्रबंधित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जाते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- विनिमय दर अस्थिरता की अवधारणा का परिचय लिखिये।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर अस्थिरता के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
- विनिमय दरों को प्रबंधित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उपायों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

विनिमय दर वह दर है, जिस पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा से विनिमय होता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का आशय किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में महत्त्वपूर्ण और निरंतर उतार-चढ़ाव होना है। भारत के लिये इसका अर्थ अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं के सामने रुपए के मूल्य में तीव्र बदलाव से है। विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का व्यापार, निवेश और समग्र आर्थिक स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है।

मुख्य भाग:

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर की अस्थिरता का प्रभाव:

- **निर्यात और आयात की अलग-अलग लागत:**
  - रुपए में गिरावट वैश्विक बाज़ार में भारतीय निर्यात को सस्ता बना सकती है, जिससे निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि यह एक साथ आयात की लागत को बढ़ाता है, जिससे घरेलू स्तर पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है।
  - इसके विपरीत, रुपए में वृद्धि का विपरीत प्रभाव हो सकता है, जिससे निर्यात में कमी आती है जबकि आयात सस्ता होता है।
- **अनिश्चित विदेशी निवेश:**
  - अस्थिर विनिमय दरें विदेशी निवेशकों के लिये अनिश्चितता लाती हैं, जिससे संभावित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश हतोत्साहित होते हैं।
  - यह घरेलू व्यवसायों और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण विदेशी पूंजी तक पहुँच को सीमित कर सकता है।
- **बाहरी ऋण बोझ:**
  - भारत का वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात 81% है।
  - बाहरी ऋण का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाता है।
  - रुपए में गिरावट से ऋण के भार में वृद्धि होती है, जिससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ता है।
- **सट्टा विनिमय दर :**
  - उच्च अस्थिरता विदेशी मुद्रा बाज़ार में सट्टा गतिविधि को आकर्षित कर सकती है।
  - सट्टेबाज़ विनिमय दर में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं, जिससे बाज़ार में अस्थिरता बढ़ सकती है तथा उत्पन्न हो सकती है।

विनिमय दर प्रबंधन के लिये RBI के उपकरण:

- **बाज़ार में हस्तक्षेप:**
  - RBI डॉलर या अन्य प्रमुख मुद्राओं को खरीदकर या बेचकर विदेशी मुद्रा बाज़ार में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।
    - **डॉलर बेचना:** जब रुपया अत्यधिक मूल्यह्रास कर रहा हो, तो RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेच सकता है। इससे बाज़ार में रुपए की वृद्धि होती है, जिससे रुपए की आपूर्ति बढ़ती है और मूल्यह्रास को रोका जा सकता है।
    - **डॉलर खरीदना:** इसके विपरीत, यदि रुपया बहुत तेज़ी से मूल्यह्रास कर रहा हो, तो RBI बाज़ार से डॉलर खरीद सकता है। इससे रुपए की आपूर्ति कम हो जाती है और मूल्यह्रास को धीमा करने में मदद मिल सकती है।
- **ब्याज दर समायोजन:**
  - RBI की मौद्रिक नीति रेपो दरों को समायोजित करने का उपकरण विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है।
    - **उच्च रेपो दरें:** रेपो दरों को बढ़ाकर, RBI विदेशी निवेशकों के लिये भारत में उधार लेना अधिक आकर्षक बनाता है। इससे विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, जिससे रुपए में मूल्यह्रास हो सकता है।
    - **न्यूनतम रेपो दरें:** इसके विपरीत, रेपो दरों को कम करने से विदेशी निवेशकों के लिये भारत में ऋण लेना कम आकर्षक हो सकता है, जिससे संभावित रूप से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है और रुपए का मूल्यह्रास हो सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार:** विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च 2024 के अंत तक 646.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह भंडार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिये बफर के रूप में कार्य करता है।
  - **स्थिरीकरण:** उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान, RBI अपने भंडार का उपयोग बाज़ार में रुपए खरीदने के लिये कर सकता है जब यह अत्यधिक मूल्यह्रास करता है, या अत्यधिक तेज़ मूल्यवृद्धि को रोकने के लिये रुपए बेच सकता है।
  - **उदाहरण के लिये:** बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS) का उपयोग RBI द्वारा बॉण्ड और प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से बाज़ार से अतिरिक्त तरलता निकालने के लिये किया जाता है।

निष्कर्ष:

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। बाज़ार में हस्तक्षेप, ब्याज दर समायोजन तथा विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग के माध्यम से RBI का सक्रिय प्रबंधन नकारात्मक प्रभावों को कम करने एवं स्थिर विनिमय दर वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे आर्थिक वृद्धि व विकास को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिये एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है और RBI की प्रभावशीलता इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे विभिन्न बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।

Q34. देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के तहत भारत के पशुधन क्षेत्र के बहुमुखी आर्थिक योगदान का परीक्षण कीजिये। इसके साथ ही भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकार की पहलों का भी उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के पशुधन क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान का परिचय लिखिये।
- देश की गरीबी, आय आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के भीतर भारत के पशुधन क्षेत्र के बहुआयामी आर्थिक योगदान का विश्लेषण कीजिये।
- भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत का पशुधन क्षेत्र, जिसमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी जैसे पशु शामिल हैं, ग्रामीण आजीविका की रीढ़ है तथा देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में पशुधन की विशाल आबादी है, जिसकी मात्रा लगभग 535.78 मिलियन है, जो पशुधन जनगणना वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

भारत के पशुधन क्षेत्र का बहुमुखी योगदान:

- **सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार:**
  - पशुधन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में पशुधन का योगदान 24.38 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 30.19 प्रतिशत (2021-22) हो गया है।
  - यह क्षेत्र लाखों छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों के लिये आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ पशुधन पालन प्राय: आय का प्राथमिक स्रोत होता है।
- **पोषण सुरक्षा:**
  - पशुधन आवश्यक प्रोटीन, दूध और अंडे प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि वर्ष 2022 में विश्व औसत 322 ग्राम प्रतिदिन है (खाद्य आउटलुक जून 2023)।
  - यह आहार विविधता, बाल विकास और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **आय सृजन और महिला सशक्तीकरण:**
  - पशुधन पालन, विशेष रूप से मुर्गी और बकरी जैसे छोटे जानवरों के पालन के लिये न्यूनतम भूमि तथा निवेश की आवश्यकता होती है, जो इसे सीमांत किसानों एवं महिलाओं के लिये आदर्श बनाता है।
  - दूध की बिक्री के माध्यम से आय सृजन महिलाओं को सशक्त बनाता है, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और घरेलू कल्याण में योगदान देता है।
- **मूल्यवान उपोत्पाद और स्थिरता:**
  - पशुधन खाद्य जैसे मूल्यवान उपोत्पाद प्रदान करता है, जो एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो सतत् कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  - गोबर से उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

भारत के पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल:

नस्ल सुधार और अवसंरचना विकास:

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):**
  - यह स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण पर केंद्रित है। यह बेहतर प्रजनन प्रथाओं के लिये कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन तकनीक तथा DNA- आधारित जीनोमिक चयन को बढ़ावा देता है।
  - इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य बेहतर जानकारी के लिये पशुधन की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने से है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):**
  - इसका उद्देश्य कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण करके और प्रसंस्करण सुविधाओं को मज़बूत करके दुग्ध की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

- यह अवसंरचना उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके डेयरी सहकारी समितियों का समर्थन करता है।

- **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF):**
  - यह डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्द्धन इकाइयों की स्थापना, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद वैविध्यकरण को बढ़ावा देने के लिये ऋण एवं ब्याज अनुदान प्रदान करता है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):**
  - यह डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्रों और मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरियों तथा सूअरों के लिये नस्ल सुधार अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाना:

- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):**
  - इसका उद्देश्य पोल्ट्री फॉर्म, भेड़ और बकरी प्रजनन इकाइयाँ, सूअर पालन तथा चारा सुविधाएँ स्थापित करने के लिये प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना है।
  - यह उद्यमिता, रोज़गार सृजन और मांस, अंडे एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देता है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC) कार्यक्रम:**
  - यह टीकाकरण अभियानों के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहचान के लिये पशुओं के कान पर टैग लगाता है तथा टीकाकरण कवरेज को ट्रैक करता है।
- **डेयरी किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):**
  - यह सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को खेत सुधार तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिये ऋण तक पहुँच प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत का पशुधन क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाता है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी सरकारी पहलों को लागू करके, यह क्षेत्र लाखों भारतीयों के लिये आजीविका सुरक्षा, पोषण सुरक्षा तथा आर्थिक विकास का स्रोत बना रह सकता है।

Q35. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की अवधारणा गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में एक संभावित उपकरण के रूप में लोकप्रिय हो रही है। भारत में UBI को लागू करने से संबंधित संभावित आर्थिक प्रभावों एवं चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- UBI की अवधारणा का परिचय लिखिये।
- इसके संभावित आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालिये।
- इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों पर गहराई से विचार कीजिये।
- UBI को लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यूनिवर्सल बेसिक इनकम/सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक सामाजिक कल्याण अवधारणा है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को सरकार से नियमित, बिना शर्त नकद भुगतान मिलता है, चाहे उनकी रोज़गार स्थिति या आय कुछ भी हो।

- भारत, अपनी बड़ी आबादी और महत्त्वपूर्ण गरीबी के साथ, UBI की खोज के लिये एक आकर्षक मामला (Compelling Case) प्रस्तुत करता है।

मुख्य भाग:

संभावित आर्थिक प्रभाव:

- **गरीबी उन्मूलन:** UBI लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालकर बुनियादी आय का आधार प्रदान कर सकता है। (वर्ष 2024 में लगभग 3.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं।)
  - यह आय असमानता को दूर करने में मदद कर सकती है, जो अभी भी भारत में उच्च बनी हुई है। (हालाँकि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा कुल आबादी के शीर्ष 10% के पास है।)
- **आर्थिक प्रोत्साहन और खपत:** UBI प्रयोज्य आय (Disposable Income) को बढ़ा सकता है और घरेलू खपत को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा (निजी अंतिम उपभोग व्यय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% है।)
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे कृषि और फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।
- **मानव पूंजी विकास:** UBI शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण तक पहुँच में सुधार कर सकता है, जिससे लंबे समय में मानव पूंजी तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों ने शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।

- **उद्यमिता को बढ़ावा:** UBI वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्ति उद्यमशीलता के जोखिम उठा सकते हैं और नवीन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  - इससे नवाचार, रोज़गार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:** UBI महिलाओं को घर के भीतर वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करके उन्हें सशक्त बना सकता है।
  - इससे महिलाओं और बच्चों के लिये बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

UBI के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ:

- **राजकोषीय बोझ:** एक व्यापक UBI कार्यक्रम को लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ेगा।
  - वर्ष 2023-24 के लिये सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% होने का अनुमान है, जो बड़े पैमाने पर UBI कार्यक्रम हेतु राजकोषीय स्थान को सीमित करता है।
- **कार्यान्वयन और वितरण संबंधी चुनौतियाँ:** लक्षित लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक पहुँचना, विशेष रूप से दूरदराज़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण तार्किक चुनौती हो सकती है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी मौजूदा योजनाओं को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसे UBI कार्यक्रम के साथ बढ़ाया जा सकता है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** UBI के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में नकदी के आवागमन से संभावित रूप से अति-मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आय हस्तांतरण की क्रय शक्ति कम हो सकती है।
- **काम करने के लिये हतोत्साहित करना:** एक चिंता यह है कि UBI लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर सकता है, मूलत: कम वेतन वाली नौकरियों के संबंध में। यह संभावित रूप से श्रम बल की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे श्रम बाज़ार में विकृतियाँ और आर्थिक उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
  - पहले ही भारत की 20% से भी कम महिलाएँ वेतन वाली नौकरियों में संलग्न हैं।
- **राजनीतिक और सामाजिक विचार:** UBI को लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति और सार्वजनिक समर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे विभिन्न हितधारकों एवं वैचारिक दृष्टिकोणों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
  - कार्यक्रम की स्थिरता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, मूलत: भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं आबादी वाले देश में।

इसलिये भारत में UBI को लागू करने के लिये निम्नलिखित बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है:

- दिल्ली और मध्यप्रदेश की तरह पायलट अध्ययन करना तथा व्यवहार्यता, चुनौतियों एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिये कठोर प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- राजकोषीय समेकन उपाय करना और UBI के लिये राजकोषीय स्थान के निर्माण हेतु वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की खोज करना।
- UBI की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे में पूरक नीतियों एवं सुधारों को लागू करना।
- गरीबी और असमानता को दूर करने के लिये सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं, नकारात्मक आयकर या सशर्त नकद हस्तांतरण जैसे वैकल्पिक विधियों की खोज करना।

निष्कर्ष:

UBI एक नीतिगत पहल के रूप में काफी आशाजनक है, फिर भी इसका सफल कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक नियोजन और भारत के विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य की गहन समझ पर निर्भर करता है, ताकि इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिये सतत् एवं न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित हो सकें।